रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102026-277479
CG-DL-E-28102026-277479

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5591] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 27, 2026/कार्तिक 5, 1948
No. 5591] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 27, 2026/KARTIKA 5, 1948

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5816(अ).—मंत्रालय की अंतिम अधिसूचना के अधिक्रमण में का.आ. 3237 (अ), तारीख 22 सितंबर, 2020 और उसके बाद की अधिसूचना का.आ. 3832(अ), तारीख 06.09.2024 को निरस्त करते हुए, अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप-धारा (3) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी करने का प्रस्ताव करती है, को इससे प्रभावित होने वाली प्रत्याशित जनता के सूचनार्थ, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के अधीन अपेक्षित एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर उस तारीख, जिस पर इस अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं, से साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा।

प्रारूप अधिसूचना में निहित प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति

विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर केंद्रीय सरकार के विचारार्थ सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली -110003 को या या इसे मंत्रालय के ई-मेल पते : esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

जबकि, महानंदा वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों, जिनमें विशेष रूप से चाय बागानों और ग्रामों से सटे विभिन्न प्रजातियों से युक्त वन और नदी पारिप्रणाली मौजूद हैं, में स्थित है। इस अभयारण्य का क्षेत्रफल 161.17 वर्ग किलोमीटर है जिसमें गौर (*बोस गोरस*) की प्रजातियों का वास है। यह उत्तरी बंगाल में तीस्ता और मेची नदी के बीच, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान, बैकुंठपुर वनों के बीच और तीस्ता नदी और कलिम्पोंग प्रभाग के वनों के बीच वन्य हाथियों की आबादी को संपोषित करने के लिए एक गलियारे के रूप में भी कार्य करता है;

और, महानंदा वन्यजीव अभयारण्य की एक विशेषता यह भी है कि यह हाथियों के आवागमन का रास्ता है और मॉनसून और शीत ऋतु के दौरान अभयारण्य में विभिन्न प्रकार के प्रवासी हाथी आश्रय लेते हैं और यहां रॉयल बंगाल टाइगर (पैंथेरा टिगरिस) भी देखे गए हैं। यह क्षेत्र चीतल (एक्सिस एक्सिस), बार्किंग डीअर (मुंटिआकस मुंजटक), सूअर (सुस स्क्रोफा), पैंगोलिन (मनिस क्रासिकुआडाटा), सांभर (रूसा यनिकलर), रीसस बंदर (मकाका मुलाटा), हिमालयन काला भालू (उर्सस थिबेटानुस लेनिगेर), फिशिंग कैट (प्रीओनेलुरुस विवेरीनुस), जंगली बिल्ली (फेलिस चाउस), क्लाउडेड तेंदुआ (नेओफेलिस नेबुलोसा), दुर्लभ माउंटेन गोट (कैपरिकोर्निस थार), आदि के लिए भी प्रसिद्ध है;

और जबकि, महानंदा वन्यजीव अभयारण्य की महत्त्वपूर्ण वनस्पति फीनिक्स रुपिकोला (विलुप्तप्राय), आकाशमोनी (*अकेशिया औरिकुलिफोरमिस*), सिरीश, (*एल्बिजिया फल्कटारिया*), मैंडेन (*एक्रोकार्पस फ्रैक्सिनिफ़ोलियस*), हल्दू (*एडिना कॉर्डिफ़ोलिया*), महानीम (*एलियान्थस एक्सेलसा*), नीम (*एज़ादिराक्टा इंडिका*), कदम (*एन्थोसेफालस कैडम्बा*), चपलाशा/बन कथाल (*आरटोकार्पस चपलाशा*), लहासुने (*अमुरा रिहिटुका*), किंजल/यूरियम (*बिस्चोफ़िया जवनिका*), सिमुल (*बोम्बाक्स सीइबा*), बिर्च/औल सउर (*बेतुला सिलिंड्रोस्टाच्या*), कुम्भी (*कैरीया आर्बोरिया*), सेटिसाल/सतसायेर (*डेलबर्गिया लैटिफोलिया*), फालेडो (*एरीथ्रिना अर्बोरसेन्स*), रुद्राक्ष (*एलाओकार्पस स्फेरिकस*), बाकफूल (*सेसबानिया ग्रैंडफ्लोरा*), साल, सखुआ (*शोरिया रोबुस्टा*), क्लोरोटी (*स्वीटेनिया फेबरिफुगा*), खानाकपा (*टेट्राडियम फ्राक्सिनिफोलियम*), तुनी/तुन (*तोना सिलियाटा*), भालु काठ (*तालौमे होदगसोमी*), पिपली-औल (*उलमस लैंसिफोलिया*), आश्रय (*वबेरनन एरुबेसेन्स*), फलामे (*वलसुरा तबूलाटा*), लोहाकाट (*ज़िलिया डोलब्रिफोर्मिस*), कुल (*ज़िज़िफ़स मौरिटिआना*), आदि हैं;

और जबकि, महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के प्रमुख जीवजंतुओं में सिक्किम लार्ज-क्लावड श्रेव (*सोरिकुलस माइग्रेसेंस माइग्रेसेन्स ग्रे*), हॉजसन ब्राउन-टूथेड श्रेव (एपिसोरिकुल*स कॉडैटस हॉर्सफ़ील्ड*), इंडियन लॉग-टेल्ड श्रेव (*सोरिकुलस लीकॉप्स हॉर्सफ़ील्ड*), हिमालयन वाटर श्रेव (*चिम्मारोगले प्लेटिसेफाला हिमालयिका*), फुलोवर फ्रूट बैट (*रोसेटस लेचेन्सुलटी*), डेमर्स फ्लाइंग फॉक्स (*टेरोपस जिगैंटियस*), डॉबसन्स ट्यूब नोज्ड बैट (*मुरीनासाइक्लोटिस,* डॉबसन), हिमालयन हेयरी विंग्ड बैट (*हैरिओफालस हर्पिया लासयुरोस,* हॉडगसन), असमिया मैकाक्वे (*मैयाये असामेंसिस पेलोप्स,* हॉडगसन), छोटे भारतीय गंधबिलाव *(विवरिकुला इंडिका),* टोड्डी बिल्ली *(परडोससुरस हेर्मैफ्रोडाइट्स),* तेंदुआ *(पैंथेरा पार्डस),* गौर *(रिबोस फ्रंटेरस गोरस),* सामान्य ऊदबिलाव *(लुतरा, लुतरा),* हाथी (*एलिफस इंडिकस*), शेरोव (*कॉप्रिकोर्नेस सुमाट्रेंसिस,* हॉजसन), इंडियन या ब्लैक नेप्ड खरगोश (*लेपस नाइग्रीकोलिस रुफ़िकाडैटस,* जियोफ़रॉय), लेसर जाइंट फ़्लाइंग गिलहरी (*पेटौरिस्टा एलिगेंस,* ग्रे), आदि जैसे स्तनधारी सम्मिलित हैं;

और जबकि, अभयारण्य से ब्लैक-अरेस्टेड बाजा (*अविदेदा लेउफोटेस सीयामा*), वेस्टर्न कोआस हॉक (*एक्सीपीटर बैजियस स्केडोवाल*), बेस्टा स्पैरो हॉवक (*एक्सीपीटर विरगाटस एफिनिस*), हिमालयन हॉक-ईगल (*स्पिसेटस निपालेंसिस निपलेंसिस*), ब्लॉक या किंग वलचर (*टोरगोस कैलवस*), हिमालयन फैलकोनेट (*निक्रोहिएराएक्स कैरुलेसेंस*), हिमालयन केस्टरेल (*फाल्को टिनिनकुलस इंटरस्टिक्टेनस*), ब्लॉसम-हेडेड पैराकेट (*पसिट्टाकुला साइनोसेफाला बैंगालेंसिस*), हॉडगसन हॉक-कुको (*कुकुलस फैगेक्स निसिकोलोर*), हिमालयन कूको (*कुकुलस सैटुरेटस सैटुरेटेस*), टावनी फिश उल्लू (*बुबो फ्लैवाइप*), कोलार्ड पिगमी ओवलेट (*ग्लौसिडियम ब्रोडिई ब्रोडिई*), हिमालयन बर्रेड ओवलेट (*ग्लासिडियम क्युकोलाइड्स*), हिमालयन ब्राउन वुड उल्लू (*स्ट्रीक्स नेवारेंसिस*), हिमालयन जंगल नाइटजर (*कैपरीमुलगुस इंडिकस*), ब्रॉड-वील्ड रोलर (*इबरुस्टोमस ओरियालिस स्यानोलिस*), व्हाइट-ब्रेस्टेड किंगफिशर (*हैल्क्योन स्माइर्नेसिस*), ब्लू नेप्ड पिट्टा (*पिट्टा निपालेंसिस*), ग्रीन ब्रेस्टेड पिट्टा (*पिट्टा सोरडिका कुकुलाटा*), रूफस शॉर्ट-टोड (*कालैंड्रेला सिनेरिया डुकुनेसिस*), सिक्किम लॉग-टेल्ड मिनिवेट (*पेरीक्रोकुटस इथोलौस लैटेटस*), स्कारलेट मिनिवेट (*पेरीक्रोकुटस फ्लेमियस*), ब्राउन बैक्ड पाइड फ्लाईकैचर श्रीक (*हेमिपस पिकाटस कैपिटलिस*), ब्लैक क्रस्टेड येलो बुलबुल (*पाइकोनस मेलान्टिकेरस फ्लेविवेंट्रिस*), ब्राउन डिपर (*सिनक्लस पेल्सी टेनुइरोस्ट्रिस*), रस्टी बेलिड शॉर्टविंग (*ब्रांचुएट्रीज हाइपरथायरस*), नेपाल शॉर्टविंग (*ब्रेचुपेरिक्स ल्यूकोफ्रीस नेपालेंसिस*), परपल थ्रश (*कोचोआ परपिरेया*), ग्रीन थ्रश (*कोचोआ विरिदिस*), असम रेड-फ्रंटेड बब्बलर (*स्टैचाइरिस रूफफ्रॉन एंबिगुआ*), रेड-हेडेड बब्बलर (*स्टैचाइरिस रूफिकेपस*), रूफस बेलिड निल्लावा (*निलटावा सुंदरा*), पेल ब्लू फ्लाइकैचर (*नील्टावा यूनिकोलर*), ब्लू थ्रोटेड फ्लाईकैचर (*निल्टावा रुबेकुलोईडेस*), आदि पक्षी प्रजातियां अभिलिखित की गई हैं;

और जबकि, महानंदा वन्यजीव अभयारण्य में पाए जाने वाले प्रमुख सरीसृप और उभयचर फैन-थ्रोटेड छिपकली (सिताना पोंटिसेरियाना), गार्डन छिपकली (कैलोट्स एर्सिकलर), बार्क गेको (हेमिडैक्टाइलस लेसचेनॉल्टिया), ओर्नामेंटल फ्लाइंग सांप (क्राइसोपेल ऑर्नेट), किंग कोबरा (ओफियोफैगस हन्ना), कोबरा (नाजा नाजा), बफ-स्ट्राइप्ड कील बैक (एम्फीस्मा स्टोलाटा), लैंड मॉनिटर छिपकली (वार्नस बेंगालेंसिस), कॉमन इंडियन स्किंक (मबुया कारिनाटा), भारतीय टेंट कछुआ (कचुगा टेंटोरिया), इंडियन बुल फ्रॉग (राना टाइगिरिना), ट्री फ्रॉग (पॉलीपेडेट्स ल्यूकोमाइस्टैक्स), बैलोन फ्रॉग (उपरोडोन ग्लोब्युलोसस), लीपिंग फ्रॉग (राना एरिथ्रिया), वार्टी फ्रॉग (राना वेरुकोसा) आदि हैं;

और जबकि, महानंदा वन्यजीव अभयारण्य में अब तक पाई जाने वाली प्रमुख तितलियाँ, कॉमन ब्लूबॉटल बटरफ्लाई (ग्रैफियम सरपीडॉन), टेल्ड जे बटरफ्लाई (ग्रैफियम एगामेमोन), कॉमन फाइव रिंग बटरफ्लाई (यप्थिमा बाल्डस), प्लेन टाइगर बटरफ्लाई (दानौस), कॉमन लेपर्ड बटरफ्लाई (फलंटा फलंथा), बैंडेड ट्रीब्राउन बटरफ्लाई नियोप कन्फ्यूज, साइकी बटरफ्लाई (लेप्टोसिया नीना), क्रिमसन रोज बटरफ्लाई (पचलियोप्टा हेक्टर), डैनैड एगफ्लाई बटरफ्लाई (हाइपोलिमनास मिसिपस), चॉकलेट पैंसी बटरफ्लाई (प्रीसिस इफिटा), पेंटेड जैज़ेबेल बटरफ्लाई (डेलियास हाइपरेट), ओकलीफ बटरफ्लाई (कल्लिमा हॉर्सफील्डी), कॉमन नवाब बटरफ्लाई (चरैक्स एथमस), कॉमन सेलर बटरफ्लाई (नेप्टिस हाइलस), स्ट्राइप्ड टाइगर बटरफ्लाई (डानौस जेनुटिया), कॉमन मैप (साइरेस्टिस थायोडबमस), टैनी राजा बटरफ्लाई (चरैक्स बर्नार्डस) आदि हैं;

और जबकि, महानंदा वन्यजीव अभयारण्य वनस्पति और जीवजंतु जैव-विविधता के प्रभावी संरक्षण और सुरक्षा के लिए विभिन्न मानव-जनित दबावों की सीमा को नियंत्रित किया जाना चाहिए क्योंकि इस नाजुक पारिप्रणाली के निकटवर्ती क्षेत्र पारिस्थितिकी रूप से अधिक संवेदनशील हैं जो इस संरक्षित क्षेत्र और संपूर्ण पश्चिम बंगाल पर काफी प्रभाव डालते हैं;

और जबकि, पैरा 1 में निर्दिष्ट महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र, विस्तार और सीमाओं का पारिस्थितिकीय, पर्यावरण और जैव-विविधता के दृष्टिगत पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन के रूप में संरक्षण और सुरक्षा करना तथा उक्त पर्यावरण संवेदी ज़ोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणी और उनके प्रचालन और प्रक्रियाओं को निषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, **अब,** केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों के महानंदा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से लगे 1 किमी. से 18.16 किमी. तक विस्तारित क्षेत्र को महानंदा वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमाएं -

(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार महानंदा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से लगे 1 किमी. से 18.16 किमी. तक विस्तारित क्षेत्र और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 539.86 वर्ग किलोमीटर है।

(2) महानंदा वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण **संलग्नक-I** के रूप में संलग्न है।

(3) महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के आस-पास के पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन के मानचित्र तथा महत्वपूर्ण मार्ग बिंदुओं के भू-निर्देशांक **संलग्नक-II क, संलग्नक-II ख, संलग्नक-II ग और संलग्नक-II घ** के रूप में संलग्न हैं।

(4) महानंदा वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के भू-निर्देशांक **संलग्नक-III** के रूप में संलग्न है।

(5) पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों (ग्रामों, चाय के बागानों, वनों) की सूची **संलग्नक-IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –

(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में इस अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए आंचलिक महायोजना तैयार करेगी जिस पर राज्य में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदित प्राप्त करना होगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

(3) इस आंचलिक महायोजना को निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार किया जाएगा जिससे कि इसमें पारिस्थितिकी और पर्यावरण सम्बंधी विषयों को शामिल किया जा सके:-

(i) वन;

(ii) राजस्व;

(iii) कृषि;

(iv) पंचायती राज और ग्रामीण विकास;

(v) सिचांई और बाढ़ नियंत्रण;

(vi) पर्यटन;

(vii) नगरपालिका और शहरी विकास;

(viii) लोक निर्माण विभाग और राजमार्ग;

(ix) पश्चिम बंगाल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड;

(x) पर्यावरण;

(xi) चाय बागानों, रेलवे, रक्षा, एनएचपीसी और भारतीय तेल निगम के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

(4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आचंलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हे अधिक कारगर और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।

(5) इस आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य सन्दर्भो के लिए प्रावधान किये जायेंगे जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(6) इस आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों,

बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा और प्रस्तावित भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी दिया जाएंगा।

(7) इस आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध, विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा और इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चयन एवं संवर्धन किया जाएगा।

(8) यह आंचलिक महायोजना, क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी।

(9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना, निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज का काम करेगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके।

(10) आंचलिक महायोजना की लम्बित और अनुमोदन, कोई नया विकासात्मक क्रियाकलाप उपपैरा (1) और (2) के पैरा 6 में विनिर्दिष्ट उपबंधों द्वारा शासित होंगे।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय** - राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, यथा:-

(1) **भू-उपयोग** – (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए अभिज्ञात उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या इसके संपरिवर्तन की अनुमति नही होगी:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर उपर्युक्त भाग (क) में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न किसी अन्य प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन को निगरानी समिति की सिफारिश पर और क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुमति दी जा सकेगी:-

i. विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ करना और नई सड़कों का निर्माण करना;
ii. बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;
iii. प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;
iv. कुटीर उद्योग सहित ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, और स्थानीय सुविधाएं तथा गृह वास; और
v. पैराग्राफ-7 में यथा उल्लिखित बढ़ावा दिए गए क्रियाकलापः

परंतु यह भी कि राज्य सरकार अनुमोदन के बिना एवं भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी

(वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक और औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी।

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जा सकेगा और उक्त त्रुटि को सुधारे जाने की सूचना केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

(ख) वनीकरण और पर्यावास पुनर्बहाली क्रियालापों के साथ अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** - इस आंचलिक महायोजना में आने वाले सभी प्राकृतिक जलमार्गों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल आवाह प्रबंधन योजना इस रीति से बनाई जाएगी कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो ।

(3) **पर्यटन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन** – (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन संबंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा।

ख. पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना, राज्य के पर्यावरण और वन विभागों के परामर्श से राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।

ग. पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।

घ. पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी।

ङ. पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात्:-

i. वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें से जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया निर्माण को अनुमत नहीं किया जाएगाः
परंतु यह भी कि, इस संरक्षित क्षेत्र की सीमा रेखा से 1 किलोमीटर की दूरी से परे और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक, किसी नये होटलों और रिजॉर्ट के निर्माण की कोई भी अनुमति पर्यटन महायोजना के अनुसार तथा पारिस्थितिकी पर्यटन सुविधाओं के लिए पूर्व निर्धारित और अथिचिन्हित क्षेत्रों में ही दी जाएगी;

ii. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;

iii. जब तक इस आंचलिक महायोजना को तैयार एवं अनुमोदित नहीं कर दिया जाता हैं तब तक पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार की कोई भी अनुमति सम्बन्धित विनियामक प्राधिकरणों के द्वारा ही दी जाएगी जो कि निगरानी समिति की स्थल विशिष्ट वास्तविक जाँच और उसकी रिपोर्ट पर आधारित होगी और तब तक ऐसे पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल, रिजॉर्ट या वाणिज्यिक स्थापना के निर्माण की अनुमति नहीं होगी।

4. **प्राकृतिक विरासत –** पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिज़र्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

5. **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबधी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।

6. **ध्वनि प्रदूषण** - पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 और उसमें संशोधन के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण किया जाएंगा ।

7. **वायु प्रदूषण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में वायु प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 351 (अ), तारीख 15 मई, 1981, के द्वारा प्रकाशित वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14), तथा पर्यावरण अधिनियम तथा तद्धीन बनाए गए नियमों, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

8. **बहिस्राव का निस्सरण** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 58 (अ), तारीख 27 फरवरी, 1975, के द्वारा प्रकाशित जल प्रदूषण) निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) तथा पर्यावरण अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

9. **ठोस अपशिष्ट -** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

क. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थो का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन और उपरोक्त अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के अनुसार से बाहर अभिज्ञात किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा।

ख. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट के निरापद और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन की अनुमति दी जा सकेगी।

ग. (iii) जैव अक्रमणीय सामग्री का पुनर्चक्रण अधिमानतः कम्पोस्टिंग या वर्मीकल्चर के माध्यम से किया जाएगा।

घ (iv) अजैविक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी-संवेदी जोन के बाहर अभिज्ञात स्थलों में पार्यावरणीय स्वीकार्य रीति से किया जाएगा और पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाने या भस्मीकरण की अनुमति नहीं होगी।

10. **जैव चिकित्सा अपशिष्ट** - जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

क. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय–समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य अभिज्ञात प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप जैव चिकित्सा अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुमत किया जायेगा।

11. **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधो के अनुसार किया जाएगा।

12. **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

13. **ई–अपशिष्ट** - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट का प्रबंधन, केंद्र सरकार द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित समय-समय पर यथा संशोधित ई–अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

14. **सड़क-यातायात -** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

15. **वाहन जनित प्रदूषण -** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी आदि के उपयोग के लिए प्रयास किए जाएंगे।

16. **औद्योगिक ईकाइयां -** (क) राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर या उसके पश्चात पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार, जब तक कि अधिसूचना में इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों को अनुज्ञात किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, गैर प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

17. **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी निर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;

(ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी निर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी ।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और उसके अधीन बने नियमों, जिसमें तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना (ईआईए), 2006 शामिल है, सहित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) अन्य लागू नियमों के उपबंधों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, यथा :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और भ्रन्जक इकाइयां।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं, जिसमें मकानों के निर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना सम्मिलित है, के सिवाय सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और भ्रन्जक इकाइयां तत्काल प्रभाव से प्रतिषिद्ध होंगी; (ख) खनन प्रचालन, वर्ष 1995 की डब्ल्यू.पी.(सी) सं. 202 में टी.एन. गोदावर्मन तिरुमलपाद बनाम यूओआई के मामले में दिनांक 04 अगस्त, 2006; वर्ष 2012 की डब्ल्यू.पी.(सी) सं. 435 में गोवा फाउंडेशन बनाम यूओआई के मामले में दिनांक 21 अप्रैल, 2014 और वर्ष 1995 की डब्ल्यू.पी.(सी) सं. 202 में टी.एन. गोदावर्मन तिरुमलपाद बनाम यूओआई के मामले में दिनांक 28 अप्रैल, 2023 के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार किए जाएंगे।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि, आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई प्रदूषणकारी उद्योग लगाने या उसके विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी। मौजूदा उद्योगों द्वारा प्रदूषण निवारण प्रौद्योगिकियां और ध्वनि अवरोधक संस्थापित किए जाने चाहिए।
3.	बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रस्संकरण।	क. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर कोई परिसंकटमय अपशिष्ट शोधन सुविधा अवस्थित नहीं होगी ख. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर उत्पन्न सभी परिसंकटमय अपशिष्ट को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर ले जाया जाएगा। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर उत्पन्न किसी भी परिसंकटमय अपशिष्ट को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर संभालने, संसाधित करने या शोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अशोधित बहिस्रावों का निस्सरण।	प्रतिषिद्ध।
6.	नई सॉ मिलों की स्थापना की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई या मौजूदा सॉ मिलों के विस्तार की अनुमति नहीं दी जाएगी।

7.	ईंट भट्टों की स्थापना।	प्रतिषिद्ध।
8.	पॉलीथीन बैग और प्लास्टिक का प्रयोग।	पर्यटन कार्यकलाप के लिए प्रतिषिद्ध। अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के लिए 50 माइक्रोन से कम आकार का प्लास्टिक प्रतिसिद्ध रहेगा।
9.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	प्रतिषिद्ध।
10.	सतही एवं भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	प्रतिषिद्ध।
11.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	प्रतिषिद्ध।
12.	ठोस अपशिष्ट शोधन	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव-निम्नीकरणीय ठोस अपशिष्ट निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दिनांक 8 अप्रैल, 2016 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1357 (ई) द्वारा प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा; अजैविक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर चिन्हित स्थल पर पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकार्य तरीके से किया जा सकता है। (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर उत्सर्जित किसी भी ठोस अपशिष्ट को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर उपचारित/प्रसंस्कृत करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
13.	जैव-चिकित्सा अपशिष्ट की शोधन सुविधा की स्थापना।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की दिनांक 28 मार्च, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 343(अ) द्वारा प्रकाशित जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन, नियम, 2016 के अनुसार किया जाएगा। पारिस्थितिकी संवेदी ज़ोन के भीतर कोई जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा स्थित नहीं होगी। (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर जैव-चिकित्सा इकाइयों से उत्सर्जित सभी अपशिष्ट को शोधन और निपटान के लिए पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर ले जाया जाएगा। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर उत्सर्जित किसी भी जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर हथालन, प्रसंस्करण या शोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
14.	प्लास्टिक अपशिष्ट की शोधन सुविधा की स्थापना।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन

		मंत्रालय द्वारा दिनांक 18 मार्च, 2016 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 340(अ) के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, समय-समय पर यथासंशोधित, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा। आंचलिक महायोजना में अतिरिक्त स्थान-विशिष्ट प्रतिबंध निर्धारित किए जा सकते हैं। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर कोई भी प्लास्टिक अपशिष्ट शोधन सुविधा स्थित नहीं होनी चाहिए। (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर उत्सर्जित सभी प्लास्टिक अपशिष्ट को ईएसजेड के बाहर ले जाया जाएगा। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर उत्सर्जित किसी भी प्लास्टिक अपशिष्ट का पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर हथालन, प्रसंस्करण या शोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
15.	ई-अपशिष्ट की शोधन सुविधा की स्थापना।	(क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, समय-समय पर यथासंशोधित, के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा। आंचलिक महायोजना में विशिष्टताएं और अतिरिक्त स्थान-विशिष्ट प्रतिबंध निर्धारित किए जा सकते हैं। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर कोई ई-अपशिष्ट शोधन सुविधा स्थित नहीं होनी चाहिए। (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर उत्सर्जित सभी ई-अपशिष्ट को पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर ले जाया जाएगा। पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर उत्सर्जित किसी भी ई-अपशिष्ट का पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंदर हथालन, प्रसंस्करण या शोधन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
16.	होटलों और रिसोर्टों की वाणिज्यिक स्थापना ।	पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण के सिवाय, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों की स्थापना की अनुमति नहीं होगी: परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार

		सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार करने की अनुज्ञा होगी।
17.	निर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन के विस्तार तक जो भी निकट हो, किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक निर्माण को अनुमत नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैराग्राफ 3 के उप पैराग्राफ (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके उपयोग के लिए उनकी भूमि में स्थानीय निवासियों की आवासीय आवश्यकताओं को पूरा करने लिए निर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जा सकेगी: परन्तु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित निर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।
18.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी समय-समय पर संशोधित उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार सक्षम प्राधिकारी गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अपनी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग को अनुमति दे सकेंगे।
19.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं की जा सकेगी। (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
20.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
21.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा। भूमिगत केबल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा।

22.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढाँचा।	लागू कानूनों, नियमों और विनियमों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार शमन के उपाय करना।
23.	मौजूदा सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों, नियमों और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के अनुसार उचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकनके साथ न्यूनीकरण उपाय करना।
24.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइट्स उड़ाना आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
25.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुमत होंगे।
28.	फर्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने को लागू विधियों के अधीन विनियमित (अन्यथा प्रदान किए गए) होंगे।
29.	कृषि या अन्य उपयोग के लिए खुला कुआँ, बोरवेल आदि।	विनियमित और कार्यकलाप की उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा कड़ाई से निगरानी की जानी चाहिए।
30.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का जल निकायों में निस्सारण नहीं होने दिया जायेगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुन:उपयोग के प्रयास किए जाएंगे। अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल या बहिर्स्राव का निस्सरण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
31.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
32.	वाणिज्यिक संकेत बोर्ड और होर्डिंग का प्रयोग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
ग. संवर्धित क्रियाकलाप		
33.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

35.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर ऊर्जा इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	बागान लगाना और जड़ी बूटियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पारिस्थितिकी अनुकूल परिवहन का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
42.	अवक्रमित भूमि/वनों/ पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
43.	पर्यावरण के प्रति जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
44.	संधारणीय वन प्रबंधन कार्यकलाप।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन की अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति -

केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (3) के तहत इस अधिसूचना के उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए निम्नलिखित को शामिल करते हुए एतद्द्वारा निगरानी समिति का गठन करती है, अर्थात्:-

क्र.स.	**निगरानी समिति का गठन**	**पदनाम**
(i)	संबंधित जिला कलेक्टर	पदेन, अध्यक्ष;
(ii)	राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में नामित किए जाने वाला वन्यजीव संरक्षण (धरोहर संरक्षण सहित) के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि	सदस्य;
(iii)	राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में नामित किए जाने वाला प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(iv)	राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में नामित किया जाने वाला जैव विविधता का विशेषज्ञ	सदस्य;
(v)	राज्य लोक निर्माण विभाग का एक प्रतिनिधि	पदेन, सदस्य;
(vi)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का एक प्रतिनिधि	पदेन, सदस्य;
(vii)	संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी	पदेन, सदस्य-सचिव

6. निगरानी समिति के कार्य -

(1) निगरानी समिति, वास्तविक स्थल-विशिष्ट स्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की छानबीन करेगी जो कि भारत सरकार के एतद्पूर्व पर्यावरण और वन मंत्रालय, की अधिसूचना संख्या का.आ. 1553 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006, के अंतर्गत आते हों और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में हो रहे हों, उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में निर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, और उक्त अधिसूचना के प्रावधानो के अंतर्गत पर्यावरण की दृष्टि से पूर्व-क्लियरेन्स के लिए केन्द्र सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण आघात मूल्यांकन प्राधिकरण के पास सन्दर्भित कर दिए गए हों।

(2) भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में आने वाले क्रियाकलापों, उसके पैरा 4 के अधीन सारणी में निर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, की निगरानी समिति द्वारा वास्तविक साइट-विशिष्ट की स्थितियों के आधार पर जांच की जाएगी और संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट की जाएगी।

(3) निगरानी समिति के सदस्य-सचिव या संबंधित कलेक्टर या संबंधित उप वन संरक्षक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) मामले दर मामले की आवश्यकता के आधार पर निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, उद्योग संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित हितधारकों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकती है।

(5) निगरानी समिति **संलग्नक-V** में विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा के अनुसार प्रत्येक वर्ष 31 मार्च तक के अपने क्रियाकलापों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव संरक्षक को प्रस्तुत करेगी।

(6) केन्द्र सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कार्य-कलापों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. **अतिरिक्त उपाय** : इस अधिसूचना के उपबंधों को कारगर बनाने के लिए केंद्र सरकार और केंद्र शासित क्षेत्र अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, भी विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।

8. **उच्चतम न्यायालय, आदि के आदेश** : इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा दिये गए या जारी किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा. सं. 25/36/2016-ईएसजेड-आरई]

वेद प्रकाश मिश्रा, संयुक्त सचिव

संलग्नक-I

महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का विवरण

उत्तर की तरफ, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की कुर्सियांग वन प्रभाग खंडों जैसे बाबुखोला वन, महलदीराम वन, बारा सिट्टोंग खासमाहल, लोंगकू खासमाहल, रोलक खासमाहल, लिज़ीपुर और मकईबारी चाय बागान के साथ एक साझा सीमा है।

पश्चिमी सीमा, पारिस्थितिकी संवेदी जोन कुछ हद तक पंकाभरी सड़क के साथ मकाईबारी चाय बागान, पटोंग चाय बागान, मंझुआ वन, मेची नदी के पूर्वी सीमा, सूरज बरेर चैट, सिरसिया चाय बागान, मेरी व्यू चाय बागान, संन्यासी थानेर चैट, बेंगडुबी सैन्य स्टेशन का हिस्सा, बालासन नदी, फुलबारी चैट, पाटेन जारेर चैट की सीमा से लगकर आगे बढ़ रहा है, उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानेकशॉ मार्ग और बिकास रोड के साथ बढ़ता है और एनएच 55 को पार करने तक महानंदा पीए से 1 किमी न्यूनतम पारिस्थितिकी संवेदी जोन रेखा के साथ मिलता है। उसके बाद यह पंचनोई नदी और पूर्व की तरफ मोहरगोंग-गुलमा चाय बागान की सीमा के साथ आगे बढ़ता है।

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमांकित दक्षिणी **सीमा,** तोरीबारी-पुलमैन सड़क के साथ महानंदा पीए की साझा सीमा से 1 किमी न्यूनतम पारिस्थितिकी संवेदी जोन रेखा के साथ मिलती है। बंगाल सफारी तक पहुंचने के बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा सेवोक रोड और सेवोक सैन्य स्टेशन के उत्तर में 70 मीटर तक नीचे की ओर मुड़ती है। इसके आगे यह दक्षिण की ओर गजोलदोबा रोड के उत्तर में 300 मीटर तक सरुगरह, डाबग्राम, अम्बारी, बेलाकोबा रेंज जैसे बैकुंठपुर के वन से होते हुए आगे बढ़ती है, जो अंत में **बिंदु ई (उ26° 47' 54.38" पू88° 32' 02.16")** से मिलती है।

पारिस्थितिकी संवेदी जोन की **पूर्वी सीमा, बिंदु ई (उ 26° 47' 54.38" पू88° 32' 02.16")** से पूर्व की ओर 500 मीटर पूर्व की ओर वाशबरी चाय बागान, मोंगपोंग वन, कलिम्पोंग वन प्रभाग के गुलिंग वन और यांग खसमाहल की साझा सीमा के साथ-साथ तीस्ता नदी तल की पूर्वी सीमा तक बढ़ती है।

महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का महत्वपूर्ण भू-निर्देशांक संदर्भों के साथ विस्तृत विवरण

विस्तार	विवरण
उत्तरी	इस पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा रेखा **बिंदु आई (उ26° 58' 02.98" पू88° 26' 14.62")** से चलते हुए तीस्ता नदी चैनल को काटते हुए पश्चिमी दिशा में बिंदु उ26° 57' 46.42" प.88° 25' 29.83" तक जाती है; आगे यह दक्षिण पश्चिमी दिशा में कंडुंग वन बस्ती और लोंकु खासमहल के बीच रिज के साथ-साथ बिंदु उ26° 57' 15.85" पू88° 25' 17.56" तक जाती है; आगे यह दक्षिण पश्चिमी दिशा में बिंदु उ26° 56' 31.08" पू88° 25' 15.15" तक जाती है। इसके बाद सीमा पश्चिमी दिशा में आगे जाती है और सेल्फू-6 मील सड़क को काटते हुए बिंदु उ26° 56' 17.37" पू88° 24' 26.18" तक जाती है। इसके बाद यह दक्षिण-पश्चिमी दिशा में आगे जाती है और बिंदु उ26° 55' 03.23" पू88° 23' 34.26" तक जाती है। फिर लाटपंचोर जंगल से लगभग 1 किमी दूर समानांतर रिज के साथ-साथ चलते हुए बिंदु उ26° 54' 26.31" पू88° 22' 39.37" तक जाती है। फिर आगे पश्चिमी दिशा में सिमरिंग चाय बागान को काटते हुए बिंदु उ26° 53' 36.61'' पू88° 21' 12.66" तक जाती है। फिर आगे दक्षिण-पश्चिमी दिशा में गिटिंगी चाय बागान को काटते हुए बिंदु उ26° 52' 30.18" पू88° 20' 52.36'' तक जाती है। फिर पहाड़ी से नीचे बिंदु उ26° 51' 54.62" पू88° 20' 57.54'' तक जाती है। फिर पश्चिमी दिशा में बिंदु उ26° 51' 45.75" पू88° 20' 44.86'' तक जाती है। आगे दक्षिण में नूरबांग चाय बागान की ओर बिंदु उ26° 50' 39.61" पू88° 21' 08.76'' तक जाती है। फिर पश्चिमी तरफ बिन्दु उ26° 50' 27.48" पू88° 20' 33.50" तक जाती है। फिर आगे पश्चिमी तरफ बिन्दु उ26° 50' 31.22" पू88° 20' 23.08" तक जाती है। फिर उत्तर दिशा में बिन्दु उ26° 50' 33.63" पू88° 20' 20.96" की ओर। फिर पूर्व की तरफ बिन्दु उ26° 50' 34.16" पू80 20' 22.57" तक जाती है। फिर आगे उत्तर की ओर बिन्दु उ26° 50' 38.09" पू88° 20' 19.51" तक जाती है। फिर आगे उत्तर की ओर बिन्दु उ26° 50' 41.01" पू88° 20' 17.09" तक जाती है। फिर उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बिंदु उ26° 50' 53.77" पू88° 19' 51.44" तक जाती है। फिर आगे उत्तर पश्चिम की ओर बिंदु उ26° 50' 59. 31" पू88° 19' 25.87" तक जाती है। पश्चिमी तरफ बिंदु उ26° 50' 57.29" पू88° 19' 19.21" तक जाती है। फिर सड़क के साथ-साथ पश्चिमी दिशा में चलते हुए बिंदु उ26° 50' 56 .01" पू88° 19' 17.78" तक जाती है। फिर सड़क के साथ-साथ आगे उत्तर की ओर बढ़ते हुए बिंदु उ26° 50' 56.04" पू88° 19' 14.34" तक जाती है। फिर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए बिंदु उ26° 50' 40.30" पू88° 18' 47.90" तक जाती है। फिर उत्तर की ओर आगे बढ़ते हुए बिंदु उ26° 50' 44.86'' उ88° 18' 46.25" तक जाती है। फिर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए बिंदु उ26° 50' 47.58" पू88° 18' 28.75" तक जाती है। फिर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए बिंदु उ26° 50' 44.14" पू88° 18' 18.32" तक जाती है। फिर उत्तर की ओर आगे बढ़ते हुए बिंदु उ26° 50'44.97"पू88° 18' 17.18" तक जाती है। फिर आगे पश्चिम की ओर बिंदु उ26° 50' 41.85" पू88° 18' 12.50" तक जाती है। फिर आगे दक्षिण पश्चिम की ओर बिंदु उ26° 50' 38.99" पू88° 18' 10.05" तक जाती है, जो कि सुभाष घीसिंग मार्ग से लगभग 30 मीटर की दूरी पर है। फिर उत्तर की ओर कुर्सेओंग-माटीगारा रोड पर बिंदु उ26° 50' 39.82" पू88° 18' 09.32" तक जाती है। फिर आगे पश्चिम की ओर बिंदु

	उ26° 50' 36.10" पू88° 18' 06.76" तक जाती है। फिर आगे दक्षिण में बिंदु उ26° 50' 34.86"पू88° 18' 08.30" तक जाती है। फिर पश्चिम में बिंदु उ26° 50 33.83 पू88° 18'07.24" तक जाती है। फिर उत्तर में कुर्सेओंग-मटिगारा रोड पर बिंदु उ26° 50' 36.81"पू88° 18' 04.78" तक जाती है। फिर आगे उत्तर पश्चिम में कुर्सेओंग-मटिगारा रोड के साथ-साथ बिंदु उ26° 50' 36.33"पू88° 18' 00.17" तक जाती है। इसके आगे यह कुर्सेओंग-मटिगारा राजमार्ग के साथ-साथ बिंदु उ26° 50' 32.76"पू88° 18' 01.64 " तक जाती है। फिर उत्तर दिशा में **बिंदु जे (उ26° 50' 36.46"पू88° तक आगे बढ़ती है 17' 53.72").**
पश्चिमी	**बिंदु जे (उ26° 50' 36.46" पू88° 17' 53.72")** से , आगे पश्चिम की ओर बिंदु उ26° 50' 36.66" पू88° 16' 32.75" तक जाती है, फिर आगे पश्चिम की ओर बिंदु उ26° 50' 22.59" पू88° 16' 11.02" तक जाती है, दक्षिण पश्चिम दिशा में बिंदु उ26° 49' 59.29" पू88° 15' 59.17" तक जाती है, फिर पश्चिम की ओर बिंदु उ26° 49' 58.66" पू88° 15' 52.94" तक जाती है। थोड़ा उत्तर पश्चिम दिशा में सड़क के साथ-साथ बिंदु उ26° 50' 01.73" पू88° 15' 44.87" तक जाती है। फिर दक्षिण की ओर नीचे बिंदु उ26° 49' 46.76" पू88° 15' 41.88" तक जाती है, और आगे दक्षिण की ओर बिंदु उ26° 49' 42.41" पू88° 15' 36.62" तक जाती है। बिंदु उ26° 49' 36.38" पू88° 15' 27.86" तक जाती है। आगे दक्षिण की ओर बिंदु उ26° 49' 31.03" पू88° 15' 27.47" तक जाती है। फिर बिंदु उ26° 49' 32.27" पू88° 15' 22.06" तक जाती है। फिर सड़क के साथ-साथ बिंदु उ26° 49' 36.12" पू88° 15' 20.72" तक जाती है। फिर सड़क के साथ-साथ पश्चिम की ओर बिंदु उ26° 49' 34.03" पू88° 15' 11.61" तक जाती है। फिर दक्षिण पूर्वी तरफ बिंदु उ26° 49' 00.25" पू88° 14' 50.83" तक जाती है। ऊपरी भूमि के साथ-साथ बिंदु उ26° 48' 53.46" पू88° 14' 54.09" तक जाती है। बिंदु उ26° 48' 40.57"पू88° 15' 04.33" तक जाती है। आगे दक्षिण में बिंदु उ26° 48' 16.93" पू88° 15' 05.52" तक जाती है। और फिर बिंदु उ26° 48' 15.64"पू88° 15' 16.73" तक जाती है। **बिंदु के [उ26° 48'02.59" पू88° 15' 11.02"] तक जाती है** । बिंदु के से, सड़क के साथ-साथ बिंदु उ26° 48' 05.77"पू88° 15' 25.41" तक जाती है। बिंदु उ26° 48' 00.41" पू88° 15' 40.88" तक जाती है। सड़क के साथ-साथ बिंदु उ26° 48' 02.58" पू88° 16' 14.55" तक जाती है। आगे बिंदु उ26° 48' 21.30" पू88° 16' 34.51" तक जाती है। बिंदु उ26° 48' 22.20" पू88° 16' 29.31" तक जाती है, फिर बिंदु उ26° 48' 24.48" पू88° 16' 23.8" तक जाती है। बिंदु उ26° 48' 31.84" पू88° 16' 25.61" तक जाती है, जहाँ सीमा एक धारा से मिलती है। फिर धारा के साथ-साथ बिंदु उ26° 48' 31.02" पू88° 16' 30.89" तक जाती है। धारा के साथ-साथ आगे बिंदु उ26° 48' 29.44" पू88° 16' 33.35" तक जाती है और धारा के साथ-साथ बिंदु उ26° 48' 29.53" पू88° 16' 36.46" तक जाती है, धारा के साथ-साथ आगे बिंदु उ26° 48' 25.87" पू88° 16' 39.67" तक जाती है। उस बिंदु तक जाती है जहां धारा पुल के ऊपर सड़क से उ26° 48' 24.04" पू88° 16' 43.86" पर मिलती है। और फिर सड़क के साथ-साथ बिंदु उ26° 48' 23.24" पू88° 17' 8.67" तक जाती है। आगे **बिंदु एल [उ26° 47' 47.19"** पू **88° 16' 57.92"]** गरीधुरा बाजार और आसपास के क्षेत्र को छोड़कर बिंदु एन26° 47' 54.2" पू 88° 16' 29.08" तक जाती है। फिर चाय बागान डिवीजन रोड के साथ-साथ बिंदु उ26° 47' 41.24" पू88° 15' 53.68" तक जाती है, फिर बिंदु उ26° 47' 41.04" पू88° 15' 12.55" वहां तक जाती है जहां यह बालासन नदी से मिल जाती है, फिर बालासन नदी के पार उ26° 47' 32.21" पू88° 14' 37.81" तक जाती है।

फिर सड़क के साथ-साथ बिंदु उ26° 47' 15.00" पू88° 14' 33.46" तक जाती है पानीघट्टा 4 नंबर गेट के पास, फिर लोरेटो हाई स्कूल पानीघट्टा के सामने सड़क के साथ-साथ पश्चिम दिशा में बिंदु उ26° 47' 04.49" पू88° 13' 37.53" तक जाती है। फिर पश्चिम दिशा में सड़क के साथ-साथ बिंदु 26° 47' 07.00" पू88° 13' तक जाती है 28.03"। फिर पथ के साथ-साथ आगे बढ़कर बिंदु 26° 46' 58.30" पू88° 13' 13.52" तक जाती है, और मौजूदा पथ के साथ-साथ आगे पश्चिम में बिंदु उ26° 46' 43.62" पू88° 12' 53.92" तक जाती है। यहां से, यह मांझा नदी की पूर्वी सीमा के साथ-साथ उत्तरी दिशा में बिंदु उ26° 47' 05.65" पू88° 12' 37.98" तक आगे बढ़ती है। फिर नदी को पश्चिमी सीमा पर काटते हुए बिंदु उ26° 47' 09.87" पू88° 12' 29.40" तक जाती है, और आगे उत्तर की ओर बढ़ते हुए बिंदु उ26° 47' 17.24" पू88° 12' 26.34" तक जाती है, फिर चाय बागान रोड को काटते हुए बिंदु उ26° 47' 17.87" पू88° 12' 24.39" तक जाती है, फिर पारिस्थितिकी संवेदी जोन उत्तर पश्चिमी दिशा में बिंदु उ26° 47' 34.91" पू88° 11' 56.55" तक जाती है बढ़ती है और लोहागर वन को कवर करता है। फिर यह दक्षिण पश्चिमी दिशा में बिंदु उ26° 47' 19.14" पू88° 11' 43.23" तक जाती है चलती है। इसके अलावा यह दक्षिण पश्चिमी दिशा में **बिंदु एम [उ26° 47'05.61" पू88° 11' 22.97"] तक जाती है लोहागर चाय बागान रोड को काटती हुई चलती** है। फिर पारिस्थितिकी संवेदी जोन रेखा दक्षिणी दिशा में बिंदु उ26° 45' 50.89" पू88° 11' 36.82" तक जाती है। फिर मेची नदी की पूर्वी सीमा के साथ-साथ आगे नीचे बिंदु उ26° 45' 03.43" पू88° 11' 38.42 तक जाती है। फिर आगे दक्षिणी दिशा में मेची वन की पश्चिमी सीमा और मेची नदी की पूर्वी सीमा के साथ-साथ बिंदु उ26° 44' 19.63" पू88° 11' 29.50 तक जाती है। फिर आगे दक्षिण में मेची नदी की पूर्वी सीमा के साथ-साथ बिंदु उ26 43' 42.77" पू88° 11' 22.16 तक जाती है। फिर आगे दक्षिण में बिंदु उ26° 43' 21.78" पू88° 10' 59.93 तक जाती है। आगे दक्षिण में मेची नदी में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास **बिंदु एन [उ26° 43'03.87" पू88° 10' 48.45"] तक जाती है**। फिर पूर्व दिशा में बिंदु उ26° 43' तक जाती है 05.47" पू88 11' 06.97".फिर आगे उत्तर की ओर बिंदु उ26° 43' 20.46" पू88° 11' 06.76" तक जाती है। फिर पूर्व दिशा में बढ़ते हुए बिंदु उ26° 43' 21.49" पू88° 11' 21.51" तक जाती है। आगे दक्षिण पूर्वी दिशा में बढ़ते हुए बिंदु उ26° 43' 17.12" पू88° 11' 30.43" तक जाती है। फिर आगे पूर्व दिशा में बढ़ते हुए बिंदु उ26° 43' 18.40" पू88° 11' 39.61" तक जाती है। आगे उत्तर दिशा में लगभग 420 मीटर बढ़ते हुए बिंदु उ26° 43' 32.16" पू88° 11' 37.84" तक जाती है। फिर उत्तर पूर्वी दिशा में बिंदु उ26° 43' 34.97" पू88° 11' तक जाती है 40.28", आगे उत्तर दिशा में बिंदु उ26° 43' 48.10"पू88° 11' 38.75", फिर उत्तर पूर्व दिशा में बिंदु उ26° 43' 48.73" पू88° 11' 39.63", फिर आगे उत्तर दिशा में बिंदु उ26° 43' 52.82" पू88° 11' 36.84", फिर आगे पूर्व दिशा में बिंदु उ26° 43' 52.13"पू88° 11' 46.35", फिर आगे दक्षिण पूर्व दिशा में बिंदु उ26° 43' 50.74" पू88° 11' 49.12", फिर पूर्व दिशा में चलते हुए बिंदु उ26° 43' 51.09" पू88° 12' 04.48", फिर आगे उत्तर दिशा में बिंदु उ26° 44' तक जाती है 01.61" पू88° 11' 58.52", फिर आगे बिंदु उ26° 44' 03.03" पू88° 11' 59.97", फिर पूर्व दिशा में बिंदु उ26° 44' 06.42" पू88° 12' 13.05", फिर आगे उत्तर की ओर बिंदु उ26° 44' 11.48"पू88° 12' 12.90", फिर आगे पूर्व की ओर बिंदु उ26° 44' 11.87" पू88° 12' 37.54" तक जाती है, फिर आगे उत्तर की ओर बढ़ते हुए कोलाबारी प्राथमिक स्कूल को पार करते हुए बिंदु उ26° 44' 23.64" पू88° 12' 36.49", फिर आगे मेची

जंगल की पूर्वी सीमा के साथ-साथ उत्तर की ओर बिंदु उ26° 44' 53.51" पू88° 12' 40.40", फिर आगे चाय बागान रोड से पानीघट्टा रोड की पश्चिमी सीमा के पास बिंदु उ26° 44' 57.64" पू88° 13' 41.40" तक जाती है, फिर उत्तर पूर्वी दिशा में बिंदु उ26° 45' 01.72" पू88° 13' 46.72" तक जाती है, फिर चाय बागान रोड के साथ-साथ उत्तर की ओर बिंदु उ26° 45' 05.22" पू88° 13' 42.72" तक जाती है, फिर बेलगाछी हाई स्कूल के पास पूर्व दिशा की ओर बिंदु उ26° 45' 10.24" पू88° 13' 47.18" तक जाती है, फिर उत्तर दिशा की ओर बिंदु उ26° 45' 11.36" पू88° 13' 45.81" तक जाती है, फिर पूर्व दिशा में बिंदु उ26° 45' 17.14" पू88° 13' 51.87" तक जाती है, फिर उत्तर की ओर बिंदु उ26° 45' 19.85" पू88° 13' 52.44", आगे पूर्व दिशा में उ26° 45' 19.90" पू88° 13' 55.58" तक जाती है, आगे दक्षिण दिशा में चलते हुए पानीघट्टा मुख्य सड़क को काटते हुए **बिंदु ओ [उ26° 45' 12.97" पू88° 13' 56.39"] तक जाती है, फिर** कदमा पुल से पहले पूर्व दिशा में पानीघट्टा सड़क के साथ-साथ चलते हुए बिंदु उ26° 45' 21.26" पू88° 14' 19.56" तक जाती है, फिर आगे कदमा नदी की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ दक्षिण दिशा में चलते हुए बिंदु उ26° 45' 10.79" पू88° 14' 14.09" तक जाती है, फिर आगे नदी की पश्चिमी सीमा के साथ-साथ बिंदु उ26° 45' 06.68" पू88° 14' तक जाती है 18.04", फिर दक्षिण में आगे बिंदु उ26° 44' 54.60" पू88° 14' 19.47", फिर दक्षिण पूर्व दिशा में आगे बिंदु उ26° 44' 47.48" पू88° 14' 28.63", फिर आगे बिंदु उ26° 44' 46.23" पू88° 14' 28.76", फिर दक्षिण पश्चिमी दिशा में नदी की सीमा के साथ-साथ बिंदु उ26° 44' 43.37" पू88° 14' 24.41", तक जाती है दक्षिण पूर्व दिशा में बिंदु उ26° 44' 39.59" पू88° 14' 27.76", फिर दक्षिण में आगे बिंदु उ26° 44' 33.70" पू88° 14' 27.92", फिर दक्षिण पूर्व दिशा में बिंदु उ26° 44' 32.86" पू88° 14' 30.69", आगे दक्षिण की ओर बिंदु उ26° 44' 15.68" पू88° 14' 36.65" तक जाती है, फिर पूर्व दिशा की ओर बिंदु उ26° 44' 21.13" पू88° 14' 42.06" तक जाती है, फिर आगे दक्षिण की ओर बिंदु उ26° 44' 12.32" पू88° 14' 45.22" तक जाती है, फिर पारिस्थितिकी संवेदी जोन रेखा दक्षिण दिशा में बिंदु उ26° 44' 03.76"पू88° 14' 46.15" तक जाती है, फिर दक्षिण-पूर्व दिशा में बिंदु उ26° 44' 02.57" पू88° 14' 49.16" तक जाती है, फिर दक्षिण दिशा में बिंदु उ26° 43' 56.57" पू88° 14' 46.88" तक जाती है चलती है, फिर दक्षिण की ओर बिंदु उ26° 43' 52.71" पू88° 14' 47.67", फिर यह दक्षिण पूर्वी दिशा में बिंदु उ26° 43' 51.06" पू88° 14' 43.64 तक जाती है बढ़ती है, फिर यह दक्षिण की ओर बिंदु उ26° 43' 32.21" पू88° 14' 48.94" तक बढ़ती है, फिर दक्षिण दिशा में बिंदु उ26° 43' 22.14" पू88° 14' 53.74" तक आगे है बढ़ती है, फिर यह बिंदु उ26° 43' 19.25" पू88° 14' 55.87" तक जाती है दक्षिण की ओर बढ़ती है, फिर यह दक्षिण दिशा में बिंदु उ26° 43' 12.91" पू88° 14' 59.84" तक जाती है, फिर दक्षिण पश्चिमी दिशा में बिंदु उ26° 43'10.53" पू88° 14' 57.24" तक जाती है आगे दक्षिण की ओर बढ़ती है बिंदु उ26° 43' 08.81" पू88° 14' 58.44" तक जाती है, फिर पूर्व दिशा की ओर बिंदु उ26° 43' 11.84" पू88° 15' 04.26" तक जाती है, आगे दक्षिण पूर्व दिशा में बिंदु उ26° 43' 06.68" पू88° 15' 13.11" तक जाती है, फिर उत्तर पूर्व दिशा में बिंदु उ26° 43' 17.83" पू88° 15' 17.80" तक जाती है, फिर दक्षिण पूर्व दिशा में बिंदु उ26° 43' 12.43" पू88° 15' 36.67" तक जाती है, आगे दक्षिण में बिंदु उ26° 42' 51 .41" पू88° 15' 35.98" तक जाती है, आगे पूर्व दिशा की ओर बिंदु उ26° 42' 50.77" पू88° 15' 27.36" तक जाती है, आगे बढ़ते हुए दक्षिण में बिंदु उ26° 42' 36.69" पू88° 15' 32.37" तक जाती है, फिर पूर्व दिशा में

बिंदु उ26° 42' 37.96" पू88° 15' 34.30" तक जाती है, आगे दक्षिण दिशा में बिंदु उ26° 42' 29.91" पू88° 15' 40.06" तक जाती है, आगे पूर्व दिशा में बिंदु उ26° 42' 30.01"पू88° 15' 42.95" तक जाती है, फिर दक्षिण-पश्चिम दिशा में बिंदु उ26° 42' 28.14" पू88° 15' 42.68" तक जाती है, फिर दक्षिण-पूर्वी दिशा में बिंदु उ26° 42' 23.40" पू88° 15' 46.47" तक जाती है, आगे पूर्व दिशा में बिंदु उ26° 42' 23.72" पू88° 15' 48.08" तक जाती है, फिर दक्षिण पूर्व दिशा में बिंदु उ26° 42' 23.54" पू88° 15' 48.61", तक फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में बिंदु उ26° 42' 22.98" पू88° 15' 48.50", फिर पूर्व दिशा में बिंदु उ26° 42' 22.32" पू88° 15' 47.29", फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में बिंदु उ26° 42' 19.67" पू88° 15' 46.11", फिर दक्षिण दिशा में बिंदु उ26° 42' 12.92" पू88° 15' 49.79", फिर पश्चिम दिशा की ओर बिंदु उ26° 42' 11.68" पू88° 15' 48.17", फिर दक्षिण दिशा में बिंदु उ26° 42' 08.20" पू88° 15' 50.27", आगे दक्षिण पश्चिमी दिशा में बिंदु उ26° 42' 05.10" पू88° 15' 47.59", फिर दक्षिण दिशा में बिंदु उ26° 41' 58.19" पू88° 15' 51.84", आगे दक्षिण पूर्वी दिशा में **बिंदु पी [उ26° 41'54.96" पू88° 15' 57.52"] तक जाती है,** फिर यह पूर्व दिशा में बिंदु उ26° 42' 08.60" पू88° 16' 54.13", आगे दक्षिण पूर्वी दिशा में बिंदु उ26° 41' 44.52" पू88° 17' 07.99" तक जाती है, फिर यह पूर्व दिशा में बिंदु उ26° 41' 46.94" पू88° 17' 11.63" तक जाती है, फिर दक्षिण दिशा में बिंदु उ26° 41' 41.25" पू88° 17' 12.17" तक जाती है, जो एशियाई राजमार्ग-02 से उत्तर में लगभग 40 मीटर की दूरी पर है। यह सीमा यहां से पूर्व दिशा में एशियाई राजमार्ग के समानांतर बिंदु उ26° 41' 41.12" पू88° 17' 16.70" तक जाती है, आगे उत्तर दिशा में बिंदु उ26° 41' 45.86" पू88° 17' 15.02" तक जाती है, आगे उत्तर में बिंदु उ26° 41' 50.48" पू88° 17' 11.85" तक जाती है, फिर यह उत्तर पूर्व दिशा में बिंदु उ26° 41' 58.51" पू88° 17' 12.82" तक जाती है, आगे यह पूर्व दिशा में बिंदु उ26° 42' 07.77" पू88° 17' 24.48" तक जाती है, आगे यह उत्तर पश्चिमी दिशा में बिंदु उ26° 42' 20.66" पू88° 17' 16.91" तक जाती है, यहां से यह पश्चिम दिशा में बिंदु उ26° 42' 25.35" पू88° 17' 43.97" तक जाती है, आगे यह उत्तर दिशा में बिंदु उ26° 43' 21.73" पू88° 17' 51.64" तक जाती है, फिर यह उत्तर पश्चिमी दिशा में थोड़ा आगे बढ़कर बिंदु उ26° 43' 48.83" पू88° 17' 34.14" तक जाती है, आगे यह बागडोगरा-पानीघाटा मुख्य सड़क को पार करते हुए पूर्व दिशा में बिंदु उ26° 43' 53.83"पू88° 17' 54.60" तक जाती है, आगे दक्षिण में बिंदु उ26° 43' 49.50" पू88° 17' 54.69" तक जाती है, आगे यह मुख्य सड़क के साथ-साथ चलती है और फिर चाय बागान रोड के साथ-साथ पूर्व दिशा में बिंदु उ26° 43' 54.44" पू88° 18' 47.23" तक जाती है, आगे यह पूर्व दिशा में **बिंदु क्यू [उ26° 43' 53.70" पू88° 19' 18.93"] तक जाती है।** इसके अलावा यह उत्तर दिशा में बिंदु उ26° 44' 13.71" पू88° 19' 07.77" तक जाती है बढ़ती है, फिर यह उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ती है और ताराबारीर छत को पार करते हुए बिंदु उ26° 44' 37.59" पू88° 19' 09.85" तक जाती है, इसके अलावा यह उत्तर दिशा में बिंदु उ26° 45' 35.62" पू88° 18' 19.24" तक जाती है, जो बालासन नदी की पश्चिमी सीमा से लगभग 130 मीटर की दूरी पर है, इसके अलावा यह पूर्व दिशा में बौनीभितर छत को पार करते हुए बिंदु उ26° 45' 53.75" पू88° 18' 50.21" तक जाती है जो बालासन नदी की पूर्वी सीमा पर है। इसके अलावा यह उत्तरी दिशा में बिंदु उ26° 46' 16.36" पू88° 18' 01.58" तक जाती है, आगे नदी तल और चाय बागानों की झाड़ियों के पार बिंदु उ26° 46' 30.22" पू88° 18' 07.76" तक जाती है, फिर एक अन्य धारा के पार बिंदु उ26°

46' 37.55"पू88° 18' 21.28" तक जाती है, बिंदु उ26° 46' 45.39" पू88° 18' 22.61" तक जाती है, फिर सड़क के साथ-साथ बिंदु उ26° 46' 45.36" पू88° 18' 23.68" तक जाती है, सड़क के साथ-साथ पूर्व की ओर बिंदु उ26° 46' 42.06" पू88° 18' 28.29" तक जाती है, और आगे पूर्व की ओर बिंदु उ26° 46' 42.28" पू88° 18' 39.47" के साथ-साथ एक छोटी जलधारा को पार करके बिंदु उ26° 46' 44.77" पू88° 18' 41.90" तक जाती है, फिर धारा के साथ-साथ उत्तर दिशा की ओर बिंदु उ26° 46' 47.29" पू88° 18' 37.32" तक जाती है, आगे धारा के साथ-साथ बिंदु उ26° 46' 57.82" पू88° 18' 32.69" तक जाती है, आगे धारा के साथ-साथ बिंदु उ26° 47' 11.66" पू88° 18' 27.56" तक जाती है, फिर आगे उत्तर की ओर एक कच्चे रास्ते से बिंदु उ26° 47' 24.25" पू88° 18' 24.82" तक जाती है, फिर कच्चे रास्ते के साथ-साथ बिंदु उ26° 47' 41.85" पू88° 18' 36.26" तक जाती है, फिर आगे पूर्व की ओर सड़क से होते हुए तब तक जाती है जब तक कि रास्ता माटीगारा-कुर्सियांग से नहीं मिल जाता है। फिर यह बिंदु उ26° 47' 43.05" पू88° 18' 43.57" तक जाती है, फिर माटीगारा-कुर्सियांग रोड के साथ-साथ बिंदु उ26° 47' 44.14"पू88° 18' 42.85" तक जाती है, फिर आगे पूर्वी तरफ चाय बागान पथ के साथ-साथ बिंदु उ26° 48' 05.84" पू88° 19' 05.68" तक जाती है, जहां यह एक अन्य धारा से मिलती है। फिर धारा के पश्चिमी तट के साथ-साथ बिंदु उ26° 47' 54.15" पू88° 19' 10.29" तक जाती है, आगे धारा के पश्चिमी तट के साथ-साथ दक्षिण में बिंदु उ26° 47' 48.08" पू88° 19' 15.04" तक जाती है, फिर धारा के पश्चिमी तट के साथ-साथ बिंदु उ26° 47' 18.26" पू88° 19' 37.12" तक जाती है जहां सीमा शेर जंग थापा पुल पर सुकना-अदलपुर रोड से मिलती है। फिर सुकना-अदलपुर रोड के साथ-साथ बिंदु उ26° 47' 21.71"पू88° 19'48.18" तक जाती है, मधुबन पार्क के कोने पर और फिर मानेकशॉ मार्ग के साथ-साथ बिंदु उ26° 46' 55.14" पू88° 20' 06.39" तक जाती है, आगे मानेकशॉ रोड के साथ-साथ दक्षिण में बिंदु उ26° 46' 32.49" पू88° 20' 28.25", फिर मानेकशॉ मार्ग के साथ-साथ दक्षिण दिशा में बिंदु **आर [उ26° 46' 4.55" पू88° 20' 31.46"] तक जाती है।** फिर बिंदु R से सड़क के साथ-साथ पूर्व दिशा में बिंदु उ26° 46' 07.86" पू88° 20' 48.82" सेंट मैरी कैथोलिक चर्च के पास तक जाती है। फिर दक्षिण दिशा में बिंदु उ26° 45' 59.68" पू88° 20' 53.34" तक जाती है, फिर दक्षिण पूर्व दिशा में बिंदु उ26° 45' 49.74" पू88° 21' 52.46" तक जाती है, फिर पूर्व दिशा में बिंदु उ26° 45' 58.13" पू88° 22' 52.54" तक जाती है, फिर उत्तर पूर्व दिशा में हिल कार्ट रोड पर बिंदु उ26° 46' 02.55" पू88° 22' 55.70" तक जाती है। फिर आगे उत्तर पूर्व दिशा में पंचनोई नदी पर बिंदु उ26° 46' 09.09" पू88° 23' 00.70" तक जाती है । फिर पंचनोई नदी के साथ-साथ बिंदु उ26° 46' 06.61" पू88° 23' 04.05 तक जाती है, फिर पंचनोई नदी के साथ-साथ बिंदु उ26° 46' 04.77" पू88° 23' 22.77" तक जाती है, फिर पंचनोई नदी के घुमावदार रास्ते से बिंदु उ26° 46' 10.43" पू88° 23' 29.06" तक जाती है, फिर आगे बिंदु उ26° 46' 08.48" पू88° 23' 31.84" तक जाती है, नदी के साथ-साथ बिंदु उ26° 46'01.19" पू88 23' 27.52" तक जाती है, फिर पंचनोई नदी के साथ-साथ बिंदु उ26° 45' 58.83" पू88° 23' 33.69" तक जाती है, फिर पंचनोई नदी के बिंदु उ26° 45' 55.22" पू88° 23' 33.16" तक जाती है, आगे पंचनोई नदी के साथ-साथ-साथ-साथ सालबारी हाई स्कूल के पास बिंदु उ26° 45'45.44" पू88° 23' 24.69" तक जाती है। पंचनोई नदी के साथ-साथ आगे बिंदु उ26° 45' 41.43" पू88° 23' 24.17" तक जाती है, फिर पंचनोई नदी के साथ-साथ बिंदु उ26° 45' 38.17" पू88° 23' 36.12 तक जाती है, फिर

	पंचनोई नदी के साथ-साथ बिंदु उ26° 45' 31.60" पू88° 23' 31.61" तक जाती है, फिर पंचनोई नदी के साथ-साथ बिंदु उ26° 45' 27.13" पू88° 23' 33.99" तक जाती है, फिर पंचनोई नदी के साथ-साथ बिंदु उ26° 45' 21.02" पू88 23' 42.85" तक जाती है, फिर पंचनोई नदी के साथ-साथ बिंदु उ26° 45' 13.99" पू88° 23' 41.54" तक जाती है, फिर पंचनोई नदी के साथ-साथ बिंदु उ26° 45' 09.01 "पू88° 23' 41.07", फिर नदी के साथ-साथ-साथ-साथ बिंदु उ26° 45' 04.89" पू88° 23' 47.46" तक जाती है, फिर नदी के उत्तर में बिंदु उ26° 45' 05.86" पू88° 23' 55.52" तक जाती है, पंचनोई नदी पर बिंदु उ26° 45' 04.05" पू88° 23' 56.79" तक जाती है। फिर नदी के पार पूर्व दिशा में दागापुर चाय एस्टेट फैक्ट्री के उत्तरी तरफ एक चाय बागान पथ पर बिंदु उ26° 45' 05.90" पू88° 24' 01.13" तक जाती है। फिर दक्षिण-पूर्वी दिशा में पथ के चाय बागान रोड पर बिंदु उ26° 44' 50.02" पू88° 24' 15.81" तक जाती है। फिर पूर्व दिशा में बिंदु उ26° 44' 51.40" पू88° 24' 17.27" तक जाती है, फिर दक्षिण पूर्व दिशा में चाय बागान रोड के साथ-साथ बिंदु उ26° 44' 47.31" पू88° 24' 19.29" तक जाती है, फिर चाय बागान के पार बिंदु उ26° 44' 45.46" पू88° 24' 21.21" तक जाती है, फिर पूर्व दिशा में बिंदु **एस [उ26° 44' 45.43" पू88° 24' 23.23"] तक जाती है।** फिर बिंदु एस से रेलवे लाइन के पार बिंदु उ26 44' 47.36" पू88° 24' 26.89" तक जाती है, फिर चाय बागान की सीमा के साथ-साथ पुराने अंचल रोड के पार बिंदु उ26° 44' 54.94" पू88° 24' 28.14" तक जाती है। आगे चाय बागान की सीमा के साथ-साथ बिंदु उ26° 44' 58.16" पू88° 24' 36.09" तक जाती है, फिर चाय बागान की सीमा के साथ-साथ बिंदु उ26° 45' 02.32" पू88° 24' 38.80" तक जाती है, आगे उत्तर में चाय बागान की सीमा के साथ-साथ बिंदु उ26° 45' 10.36" पू88° 24' 33.22" तक जाती है, फिर आगे उत्तर में चाय बागान की सीमा के साथ-साथ बिंदु उ26° 25' 16.33" पू88° 24' 27.95" तक जाती है, फिर बिंदु उ26° 45' 16.73" पू88° 24' 33.97", फिर चाय बागान की सीमा के साथ-साथ आगे बिंदु उ26° 46'23.05" पू88° 24' 42.34", फिर आगे उत्तर में बिंदु उ26° 45' 27.89" पू88° 24' 48.94", फिर आगे सीमा के साथ-साथ उ26° 45' 28.81" पू88° 24' 58.58", फिर सीमा के साथ-साथ बिंदु उ26° 45' 49.73"पू88° 24' 57.74" से बिंदु उ26° 45' 52.05" पू88° 24' 49.75", फिर आगे सीमा के साथ-साथ बिंदु उ26° 46' 02.18" पू88° 24' 45.43", बिंदु उ26° 46' 06.61" पू88° 24' 38.10" तक जाती है, फिर चाय बागान पथ के साथ-साथ उत्तर की ओर बिंदु उ26° 46' 16.77" पू88° 24' 39.93", फिर चाय बागान सीमा के साथ-साथ बिंदु उ26° 46' 29.70" पू88° 24' 43.51" से बिंदु उ26° 46' 35.81" पू88° 24' 35.53" तक जाती है चाय बागान की सीमा के साथ-साथ, फिर उत्तर की ओर बिंदु उ26° 46' 55.44" पू88° 24' 30.63" से बिंदु उ26° 47' 10.27" पू88° 24' 19.65", फिर उत्तर की ओर बिंदु उ26° 47' 25.02" पू88° 24' 18.26" तक जाती है, फिर उत्तरी तरफ पथ के साथ-साथ **बिंदु ए [उ26° 47' 27.26" पू88° 24' 14.34"]** तक जाती है।
दक्षिणी	**यह बिंदु ए उ26° 47'27.26" पू88° 24'14.34"** के दक्षिणी ओर से पूर्व दिशा में महानंदा नदी के पश्चिमी तट पर बिंदु उ26° 47' 15.58" ई88° 25' 32.82" तक जाती है, फिर महानंदा के पूर्वी तट पर बिंदु उ26° 47' 23.68" ई88° 26' 08.18" तक जाती है, वहां से उत्तर पूर्वी ओर बिंदु उ26° 47' 46.25" ई88° 26' 18.77" तक जाती है जहां यह बंगाल सफारी की सीमा से मिलती है, वहां से बंगाल सफारी की सीमा के साथ-साथ दक्षिण पूर्वी ओर बिंदु उ26° 47' 28.70" ई88° 26'

	43.21" तक जाती है, फिर वहां से बंगाल सफारी की सीमा के साथ-साथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर बिंदु उ26° 47'29.90" पू88° 26'59.69" से मिलने तक जाती है, फिर राजमार्ग के साथ-साथ दक्षिणी दिशा में बिंदु उ26° 47' 16.79" पू88° 26' 58.78" तक जाती है, फिर सड़क के पार बिंदु उ26° 47" 16.57" पू88° 26' 59.42" तक जाती है, फिर सड़क के पार से बिंदु उ26° 47' 02.66" पू88° 27' 09.61" सेवोके मिलिट्री स्टेशन कार्यालय के पीछे और बैकुंठपुर जंगल में, यहां से पूर्व दिशा में **बिंदु बी (उ26°46'56.89" पू88°28'50.66")** तक जाती है, फिर सीधे दक्षिण की ओर बिंदु उ26° 45' 00.73" पू88° 28' 39.77" से बिंदु उ26° 44' 34.71" पू88° 27' 56.19" तक जाती है, बैकुंठपुर वन प्रभाग की सीमा के साथ-साथ पश्चिमी दिशा में, फिर सीमा के साथ-साथ आगे दक्षिण में बिंदु उ26° 44' 14.46" पू88° 27' 55.95" तक जाती है और फिर पूर्व दिशा में बिंदु उ26° 44' 15.62" पू88° 28' 04.45" तक जाती है वन की सीमा के साथ-साथ बिंदु उ26° 44' 14.70" पू88° 28' 08.53", तक जाती है, फिर सीमा के साथ-साथ बिंदु उ26° 44' 12.67" पू88° 28' 11.73", तक जाती है दक्षिण दिशा में बिंदु उ26° 43' 50.84" पू88° 28' 15.22", तक जाती है दक्षिण पूर्व दिशा में बिंदु उ26° 43' 25.79" पू88° 2914.12' तक जाती है", फिर सीमा के साथ-साथ दक्षिण पूर्वी दिशा में **बिंदु सी [उ26°40'29.69" पू88°29'59.10"]** महानंदा तीस्ता लिंक नहर के उत्तरी किनारे पर, वहां से नहर के साथ-साथ पूर्व की ओर 100 मीटर की दूरी पर बिंदु उ26° 41' 04.08" पू88° 34' 06.93" तक जाती है, नहर के साथ-साथ आगे पूर्व की ओर **बिंदु डी उ26° 41' 21.06" पू88° 34' 55.75" तक जाती है,** बिंदु डी से नहर के साथ-साथ उत्तर की ओर नहर से 100 मीटर की दूरी पर बिंदु उ26° 44' 04.15"पू88° 34' 19.51" तक जाती है, वहां से उत्तर पश्चिम दिशा में सरस्वतीपुर चाय बागान के पार बिंदु उ26° 45' 50.11" पू88° 32' 42.64'' तक जाती है, फिर तीस्ता नदी के पश्चिमी तट के साथ-साथ उत्तर की ओर **बिंदु ई (एन26° 47' 54.38" ई88° 32' 02.16")** तक जाती है।
पूर्वी	**बिंदु ई (उ26° 47' 54.38" पू88° 32' 02.16")** से, पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा उत्तर पूर्व दिशा में बिंदु उ26° 48' 27.09" पू88° 32' 41.51" तक जाती है, फिर साओगांव से तीस्ता नदी के तल के पार बिंदु उ26° 49' 04.96" पू88° 34' 11.96" तक जाती है, फिर छोटी धारा के साथ-साथ बिंदु उ26° 49' 06.32" पू88° 34' 15.85" तक जाती है, फिर धारा के साथ-साथ उत्तर की ओर बिंदु उ26° 49' 11.28" पू88° 34' 15.98" तक जाती है, फिर धारा के साथ-साथ पूर्व दिशा में बिंदु उ26° 49' 12.07" पू88° 34' 19.41" तक जाती है, फिर धारा के पार बिंदु उ26° 49' 23.81" पू88° 34' 23.36" तक जाती है, फिर साओगांव चाय एस्टेट से होकर बिंदु उ26° 49' 45.04" पू88° 34' 45.04", फिर यहां से उत्तरी तरफ **बिंदु एफ [उ26° 49' 59.50" पू88° 34' 44.03"] तक जाती है।** बिंदु एफ से उत्तर पश्चिमी दिशा में लीश नदी के पूर्वी तट बिंदु उ26° 50' 59.99" पू88° 33' 54.11" तक जाती है, फिर लीश नदी के पूर्वी तट के साथ-साथ बिंदु उ26° 51' 25.77" पू88° 33' 58.92" तक जाती है, नदी के किनारे उत्तर की ओर बिंदु उ26° 51' 32.29" पू88° 33' 57.52" तक जाती है, फिर पूर्वी तट के साथ-साथ उत्तर की ओर बिंदु उ26° 51' 46.86"पू88° 33' 59.08" तक जाती है, बिंदु उ26° 51' 50.00" पू88° 34' 02.32" तक जाती है, फिर राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ-साथ **बिंदु जी [26° 51' 54.07" पू88° 34' 3.96"]** तक जाती है, फिर लीश नदी के उस पार सड़क के साथ-साथ पश्चिमी दिशा में नदी के किनारे बिंदु उ26° 51' 57.95" पू88° 33' 29.45" तक जाती है, फिर राजमार्ग के साथ-साथ पूर्व की ओर बिंदु उ26° 52' 24.05" पू88° 32' 32.24"

	तक जाती है, राजमार्ग के साथ-साथ पूर्व की ओर बिंदु उ26° 52' 17.17" पू88° 32' 12.69" तक जाती है, फिर राजमार्ग के साथ-साथ पूर्व की ओर बिंदु उ26° 52' 16.82" पू88° 31' 48.36" तक जाती है, राजमार्ग के साथ-साथ बिंदु उ26° 52' 22.54" पू88° 31' 41.36" तक जाती है, फिर राजमार्ग के साथ-साथ बिंदु उ26° 52' 15.27" पू88° 31' 18.60" तक जाती है, फिर राजमार्ग के साथ-साथ **बिंदु एच [उ26° 52' 52.79" पू88° 29' 27.19"]** तक जाती है मोंगपोंग वन चेक पोस्ट से ठीक पहले, यहाँ से उत्तर की ओर मोंगपोंग वन से होते हुए बिंदु उ26° 54' 54.93 "पू88° 29' 24.94" तक जाती है, फिर यहाँ से पारिस्थितिकी संवेदी जोन, बिंदु उ26° 55' 02.27" पू88° 29' 04.67" तक रिज के साथ-साथ चलती है, फिर यह उत्तर की ओर बिंदु उ26° 55' 31.27" पू88° 29' 04.26" तक जाती है, फिर यहाँ से यह उत्तर पश्चिमी दिशा में चलती हुई बिंदु उ26° 56' 01.06" पू88° 28' 30.50" पर पनबू वन को काटती है, फिर बिंदु उ26° 56' 05.55" पू88° 28'30.56" तक जाती है, फिर यह पश्चिमी दिशा में बिंदु उ26° 56' 25.95" पू88° 27' 58.59" तक जाती है, फिर यह पश्चिमी दिशा में पनबू जंगल में तीस्ता नदी के पूर्वी तट से लगभग 250 मीटर की दूरी तक जाती है और आगे बढ़ते हुए बिंदु उ26° 56' 29.11" पू88° 26' 50.55" तक जाती है, यहां से यह उत्तर पूर्वी दिशा में बिंदु उ26° 56' 50.68" पू88° 26' 59.07" तक जाती है, फिर यह गुलिंग जंगल में आगे उत्तर की ओर बिंदु उ26° 57' 11.72" पू88° 26' 42.49" तक जाती है, आगे यह तीस्ता नदी के पूर्वी तट के पास उत्तर की ओर **बिंदु आई [उ26 58'02.98" पू88° 26' 14.62"]** तक जाती है।

संलग्नक-II क

महत्वपूर्ण मार्ग-बिंदुओं के भू-निर्देशांक के साथ महानंदा वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र,

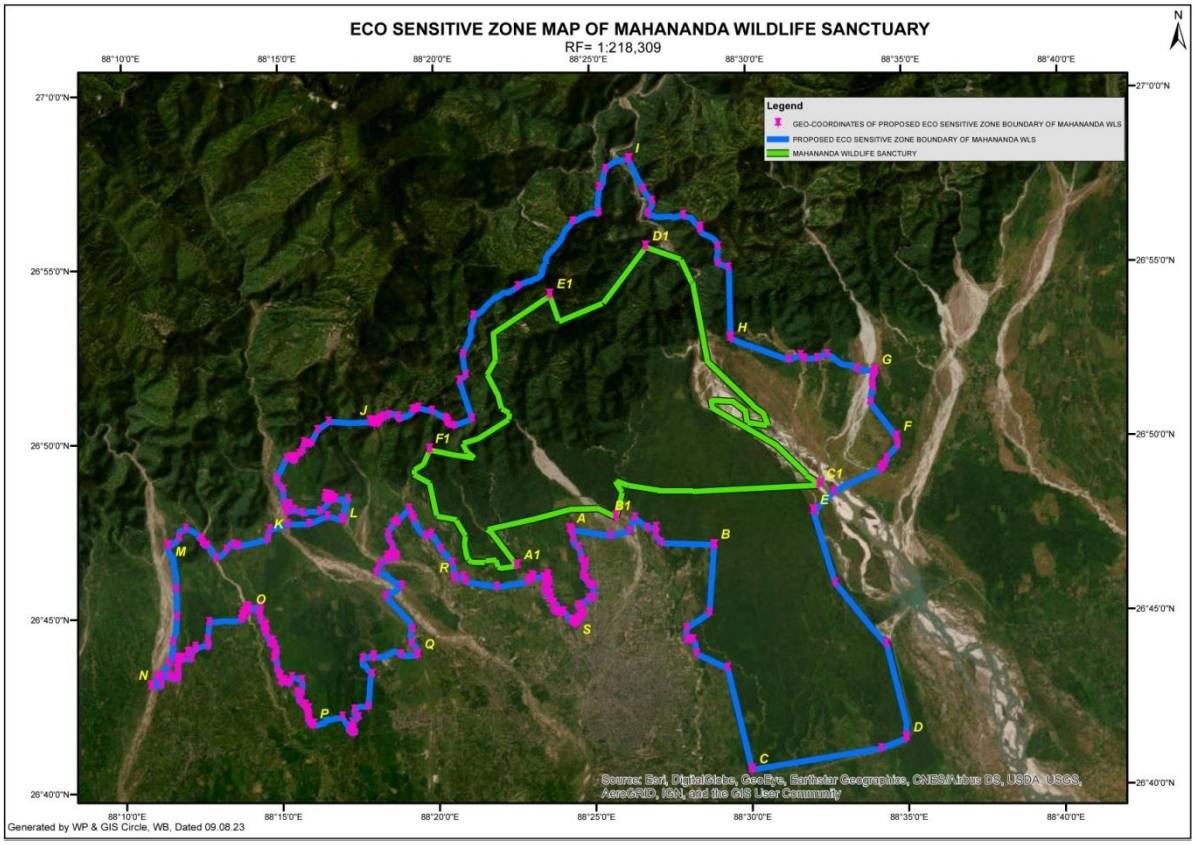

संलग्नक-II ख

गूगल अर्थ पर महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

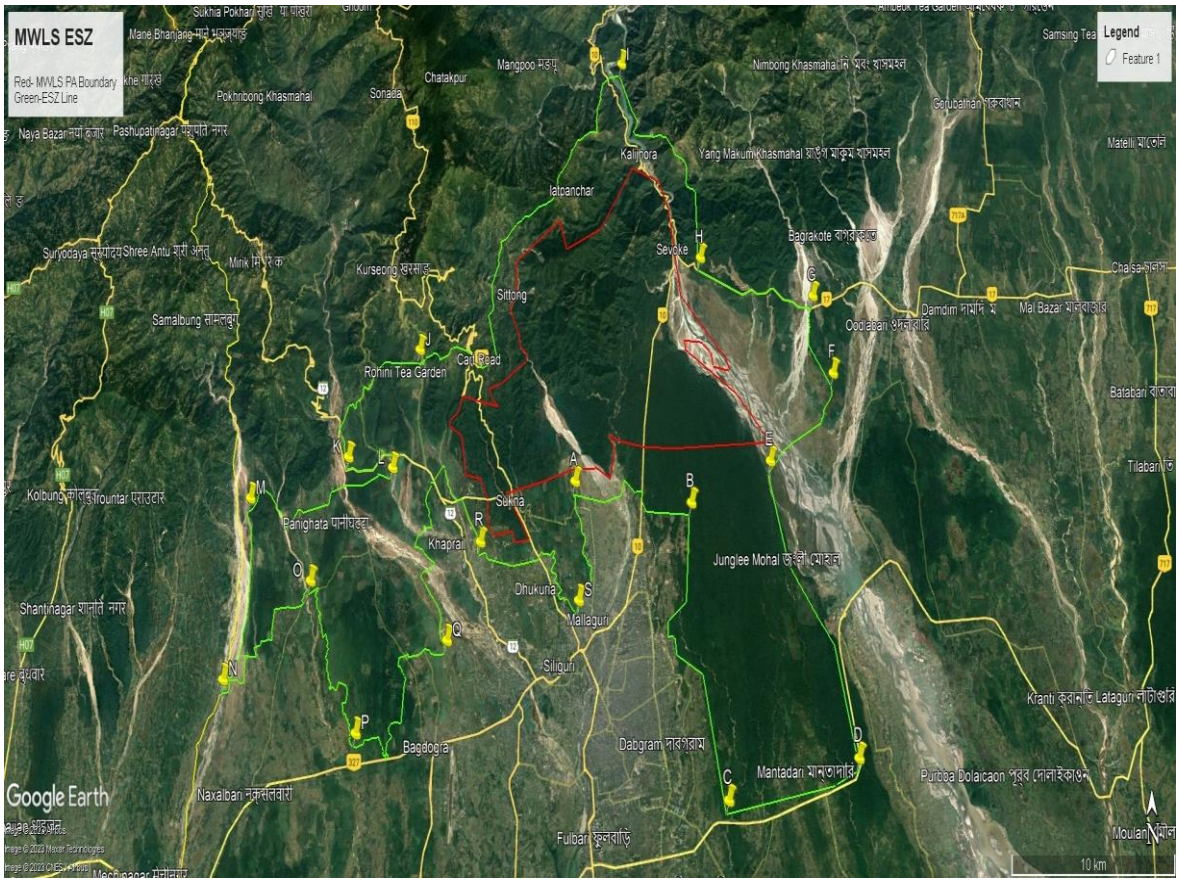

संलग्नक-II ग

टोपोशीट पर महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

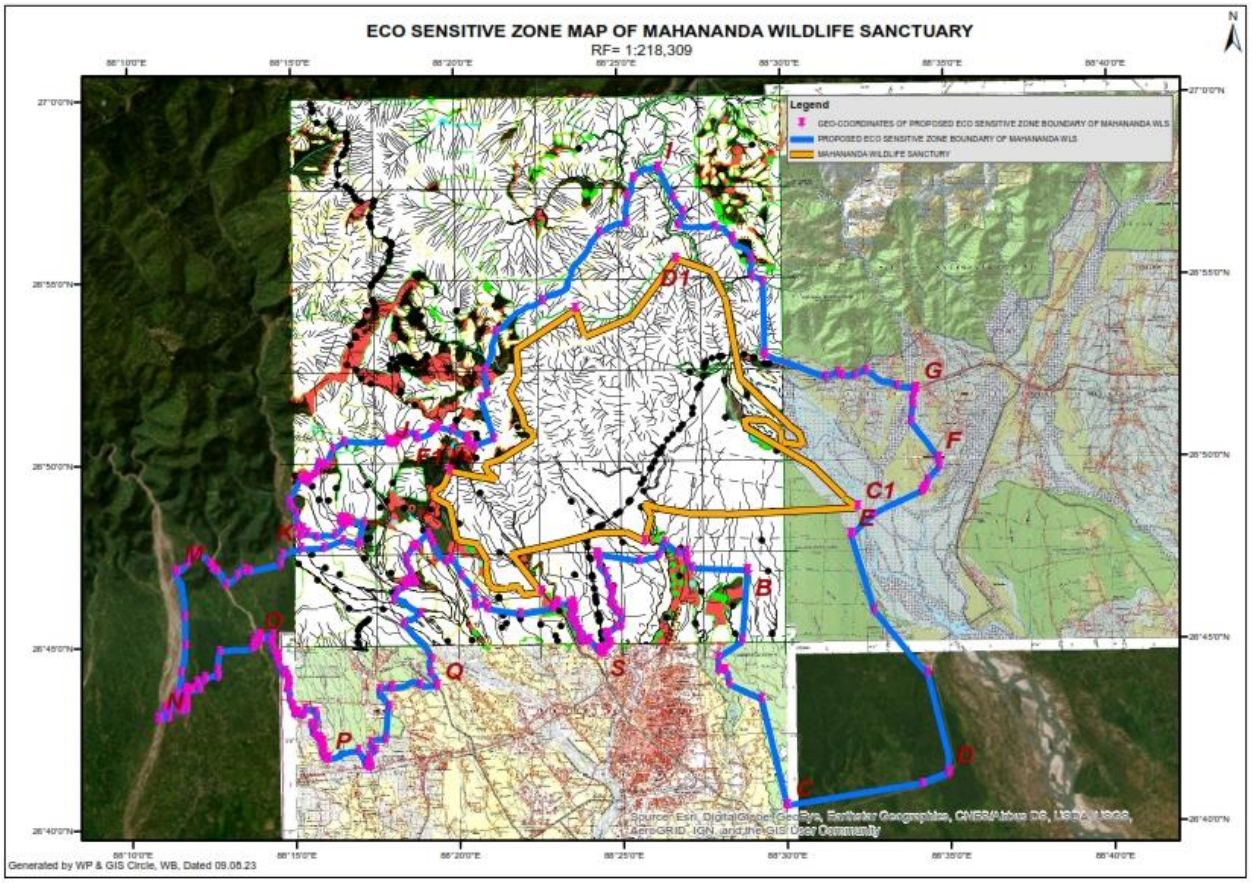

संलग्नक-II घ

महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का स्थानिक मानचित्र

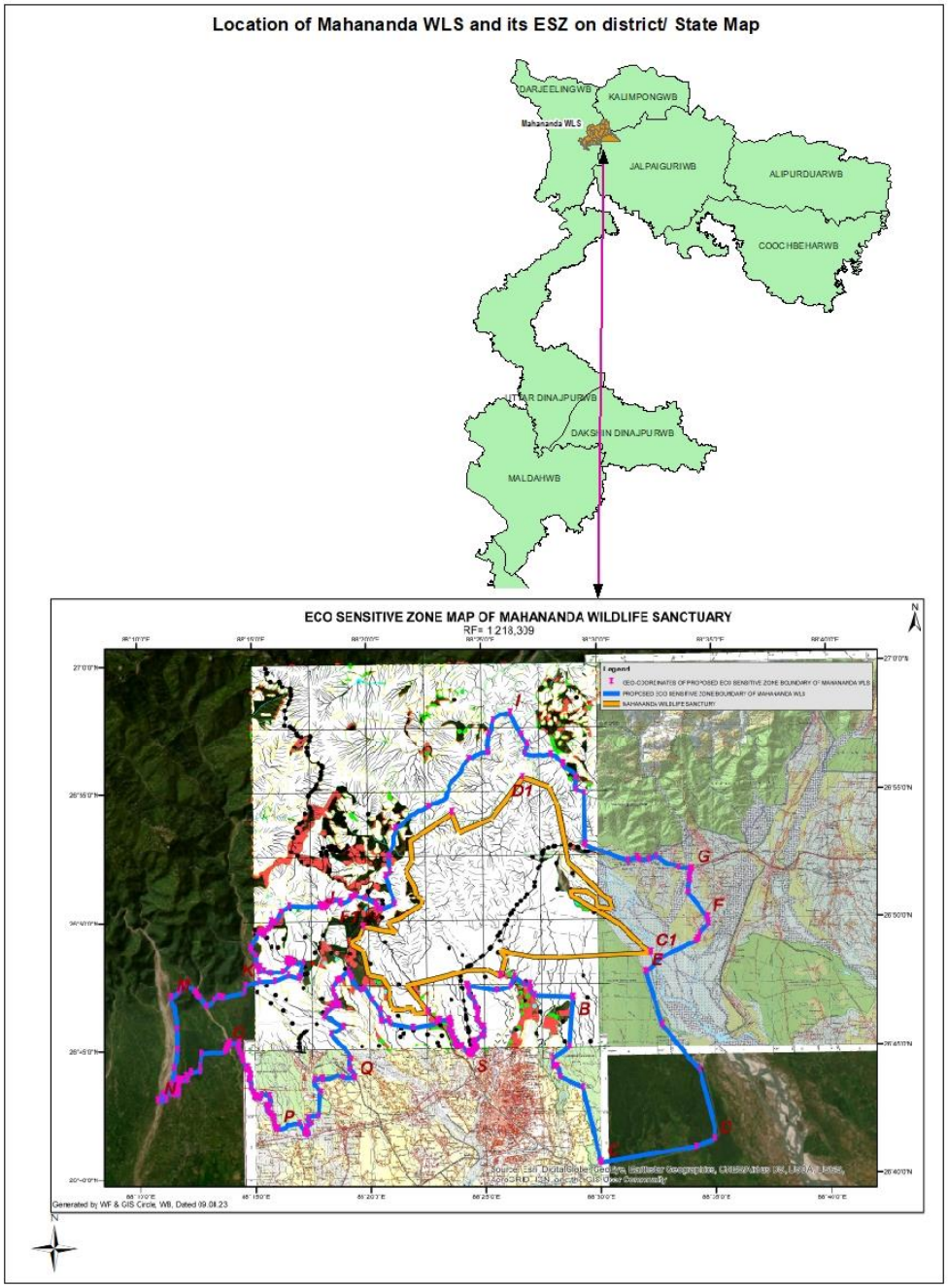

संलग्नक-III

तालिका-क: महानंदा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा पर स्थित महत्वपूर्ण बिंदुओं के भू-निर्देशांक

बिंदु	अक्षांश	देशांतर
ए1	उ26°46'25.43"	पू 88°22'32.00"
बी1	उ 26°47'48.28"	पू 88°25'43.17"
सी1	उ 26°48'39.35"	पू 88°32'14.17"
डी1	उ 26°55'31.65"	पू 88°26'45.75"
ई1	उ 26°54'10.88"	पू 88°23'40.67"
एफ1	उ 26°49'46.78"	पू 88°19'46.14"

तालिका-ख: महानंदा वन्यजीव अभयारण्य की पारिस्थितिकी संवेदी जोन सीमा पर स्थित महत्वपूर्ण बिंदुओं के भू-निर्देशांक

बिंदु	अक्षांश	देशांतर
ए	उ26°47’27.26”	पू88°24’14.34”
बी	उ26°46’56.89”	पू88°28’50.66”
सी	उ26°40’29.69”	पू88°29’59.10”
डी	उ26°41’21.06”	पू88°34’55.75”
ई	उ26°47’54.38”	पू88°32’02.16”
एफ	उ26°49’59.50”	पू88°34’44.03”
जी	उ26°51’54.07”	पू88°34’03.96”
एच	उ26°52’52.79”	पू88°29’27.19”
आई	उ26°58’02.98”	पू88°26’14.62”
जे	उ26°50'36.46"	पू88°17'53.72"
के	उ26°48'02.59"	पू88°15'11.02"
एल	उ26°47'47.19"	पू88°16'57.92"
एम	उ26°47'05.61"	पू88°11'22.97"
एन	उ26°43'03.87"	पू88°10'48.45"
ओ	उ26°45'12.97"	पू88°13'56.39"
पी	उ26°41'54.96"	पू88°15'57.52"
क्यू	उ26°43'53.70"	पू88°19'18.93"
आर	उ26°46'04.55"	पू88°20'31.46"
एस	उ26°44'45.43"	पू88°24'23.23"

तालिका ग: महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के महत्वपूर्ण भू-निर्देशांक और वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से उनकी दूरी

बिंदु	अक्षांश	देशांतर	सीमा से न्यूनतम दूरी कि.मी. में
ए	उ26°47'27.26"	पू88°24'14.34"	1
बी	उ26°46'56.89"	पू88°28'50.66"	2.9
सी	उ26°40'29.69"	पू88°29'59.10"	14.75
डी	उ26°41'21.06"	पू88°34'55.75"	14.25
ई	उ26°47'54.38"	पू88°32' 02.16"	1.3
एफ	उ26°49'59.50"	पू88°34'44.03"	5.7
जी	उ26°51'54.07"	पू88°34' 03.96"	6.3
एच	उ26°52'52.79"	पू88°29'27.19"	1.4
आई	उ26°58' 02.98"	पू88°26'14.62"	4.76
जे	उ26°50'36.46"	पू88°17'53.72"	3.4
के	उ26°48' 02.59"	पू88°15'11.02"	7.74
एल	उ26°47'47.19"	पू88°16'57.92"	4.8
एम	उ26°47' 05.61"	पू88°11'22.97"	14.25
एन	उ26°43' 03.87"	पू88°10'48.45"	18.16
ओ	उ26°45'12.97"	पू88°13'56.39"	11.25
पी	उ26°41'54.96"	पू88°15'57.52"	12.05
क्यू	उ26°43'53.70"	पू88°19'18.93"	5.7
आर	उ26°46' 04.55"	पू88°20'31.46"	1.25
एस	उ26°44'45.43"	पू88°24'23.23"	5.9

संलग्नक-IV

महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों (गांव, चाय बागान, वन) की सूची

क्र.स.	स्थान का नाम	भू वर्गीकरण	अक्षांश	देशांतर
1	गुलमखारी	राजस्व ग्राम	उ26°48'04.4"	पू88°24'11.2"
2	दमरा गेर छट	राजस्व ग्राम	उ26°45'44.29"	पू88°23'33.54"
3	लोहागर वन	वन	उ26°46'51.0"	पू88°12'03.00"
4	फाउटसिंगरचैट	राजस्व ग्राम	उ26°44'57.11"	पू88°24'19.96"
5	खोकलांग	राजस्व ग्राम	उ26°46'42.91"	पू88°21'11.17"
6	पहारू	राजस्व ग्राम	उ26°46'53.67"	पू88°20'54.73"
7	खोकलांग छत	राजस्व ग्राम	उ26°46'32.22"	पू88°21'13.07"
8	कमला बरिर छट	राजस्व ग्राम	उ26°46'28.37"	पू88°20'40.44"
9	नुनु बैरागी	राजस्व ग्राम	उ26°45'02.22"	पू88°23'00.40"
10	नुनु बैरागिर छट	राजस्व ग्राम	उ26°46'44.8"	पू88°20'16.20"
11	झौगुरी	राजस्व ग्राम	उ26°45'58.65"	पू88°21'28.84"
12	झौगुरी छत	राजस्व ग्राम	उ26°46'10.2"	पू88°21'02.30"
13	चामटागुड़ी छत	राजस्व ग्राम	उ26°45'58.2"	पू88°22'15.80"
14	चमटा	राजस्व ग्राम	उ26°46'13.89"	पू88°21'27.59"
15	मोहरगोंग टी. जी	चाय बागान	उ26°46'47.8"	पू88°22'19.10"
16	सिटोंग वन	वन	उ26°54'55.7"	पू88°24'33.90"
17	सेवोके वन	वन	उ26°52'42.6"	पू88°28'14.40"
18	लाटपंचर	वन	उ26°54'41.2"	पू88°24'19.70"
19	सिपाहीधुरा	चाय बागान	उ26°50'27.0"	पू88°20'64.00"
20	सिमरिंग टी. जी	चाय बागान	उ26°53'25.45"	पू88°21'37.29"
21	रौंटोंग	राजस्व ग्राम	उ26°50'10.51"	पू88°20'33.15"
22	बामोनपोखरी वन	वन	उ26°48'56.87"	पू88°16'48.75"
23	लामा गुम्बा वन	वन	उ26°49'8.98"	पू88°18'42.11"
24	रोहिणी टी.जी	चाय बागान	उ26°50'22.23"	पू88°17'23.70"
25	लोहागर टी. जी	चाय बागान	उ26°47'25.0"	पू88°12'03.00"
26	मांझा टी. जी	चाय बागान	उ26°46'14.9"	पू88°12'34.80"
27	सप्तगिरिखेलघर टी. जी	चाय बागान	उ26°44'14.10"	पू88°25'47.17"
28	कंडुंग वन बस्ती	राजस्व ग्राम	उ26°56'31.12"	पू88°25'52.00"
29	पश्चिम टोटगांव	राजस्व ग्राम	उ26°50'26.4"	पू88°31'28.40"
30	पुरबा टोटगांव	राजस्व ग्राम	उ26°50'30.9"	पू88°31'31.70"

31	रक्त वन	वन	उ26°47’48.61”	पू88°17’28.03”
32	बैकुंठपुर वन	वन	उ26°44’36.71”	पू88°27’56.19”
33	मेची वन	वन	उ26°44’35.0”	पू88°12’05.12”
34	नोरबंग टी.जी	चाय बागान	उ26°50’55.19”	पू88°21’35.05”
35	पूरब कराईबारी छत	राजस्व ग्राम	उ 26 47’ 01.7”	पू88 25’02.50”
36	कराईबारी	राजस्व ग्राम	उ 26 47’13.3”	पू88 25’03.10”
37	छोटोअदलपुर	राजस्व ग्राम	उ 26 47’11.36”	पू88 19’15.26”
38	धेमल	राजस्व ग्राम	उ 26 44’57.73”	पू88°19’32.31”
39	राजपियारी	राजस्व ग्राम	उ 26 45’34.7”	पू88 21’13.70”
40	पंचानई	राजस्व ग्राम	उ 26 44’43.87”	पू88 22’35.00”
41	तिनधरिया टी.जी	चाय बागान	उ 26 51’17.66”	पू88 20’44.85”
42	सिमुलबारी टी. जी	चाय बागान	उ 26 47’33.49”	पू88 18’33.67”
43	सेलिम हिल टी. जी	चाय बागान	उ 26 50’23.53”	पू88 19’08.66”
44	पेयरकुमारी टी. जी	चाय बागान	उ 26 46’31.30”	पू88°20’09.02”
45	गुलिंग वन	वन	उ 26 57’22.1”	पू88 27’01.60”
46	एलेनबरी टी. जी	चाय बागान	उ26°51’33.2”	पू88°32’08.50”
47	कलागैटी टी. जी	चाय बागान	उ26°51’14.5”	पू88°32’45.40”
48	साओगांव टी.जी	चाय बागान	उ26°51’05.0”	पू88°35’13.90”
49	साओगांव	राजस्व ग्राम	उ26°49’42.9”	पू88°33’52.80”
50	बारा चेंगा	राजस्व ग्राम	उ26°46’42.9”	पू88°13’10.80”
51	छोटाचेंगा	राजस्व ग्राम	उ26°45’22.9”	पू88°13’18.80”
52	सुंदरी बस्ती	राजस्व ग्राम	उ26°51’17.9”	पू88°31’34.60”
53	मारापुर टी.जी	चाय बागान	उ26°45’58.5”	पू88°12’58.40”
54	बेलगाछी टी. जी	चाय बागान	उ26°46’17.5”	पू88°13’37.40”
55	पानीघाटा टी.जी	चाय बागान	उ26°46’48.5”	पू88°12’28.40”
56	त्रिहाना टी. जी	चाय बागान	उ26°45’35.5”	पू88°16’22.40”
57	कदमा	राजस्व ग्राम	उ26°46’42.9”	पू88°13’10.80”
58	एम.एम.तराई	राजस्व ग्राम	उ26°46’42.9”	पू88°13’10.80”
59	उडियारिप	राजस्व ग्राम	उ26°44’46.9”	पू88°14’41.80”
60	तराई टी. जी	चाय बागान	उ26°46’01.5”	पू88°15’43.40”
61	पानीघट्टा वन	वन	उ26°46’28.0”	पू88°14’50.12”
62	पंथाबारी वन	वन	उ26°45’57.6”	पू88°16’57.12”

63	मैरियनबारी टी. जी	चाय बागान	उ26°47’30.50”	पू88°16’10.43”
64	लॉन्गव्यू टी. जी	चाय बागान	उ26°48’55.36”	पू88°15’35.22”
65	दलकाझार वन	वन	उ26°43’55.12”	पू88°16’10.12”
66	मोंगपोंग	राजस्व ग्राम	उ26°52’59.29”	पू88°29’20.84”
67	गिटिंगी टी. जी	चाय बागान	उ 26 52’15.53”	पू88 21’14.27”
68	वाशाबारी टी. जी	चाय बागान	उ 26 51’45.08”	पू88 32’42.51”
69	पनबू वन	वन	उ 26 55’15.71”	पू88 27’56.16”

संलग्नक–V

की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र :-

1. बैठकों की संख्या और तारीख।
2. बैठकों का कार्यवृत: कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें। बैठक के कार्यवृत को एक पृथक संलग्नक में प्रस्तुत करें।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार। विवरण संलग्नक के रुप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक संलग्नक के रूप में संलग्न करें।
6. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार। विवरण एक पृथक संलग्नक के रूप में संलग्न करें।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2026

S.O. 5816(E).—In supersession of Ministry's final notification S.O. 3237(E), dated 22nd September, 2020, and subsequent draft notification S.O 3832(E) dated 06.09.2024, the following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public.**;**

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Mahananda Wildlife Sanctuary is situated in Darjeeling and Jalpaiguri districts of West Bengal which are characterized by forest and riverine ecosystem adjoining tea gardens and villages with diverse ethnicities. The Sanctuary has an area of 161.17 square kilometers harboring species of Gaurs (*Bos gaurus*). It also acts as a corridor for sustaining population of wild elephants in North Bengal in between Teesta and Mechi River, between Gorumara National Park, Baikunthpur Forests and between Teesta river and Forests of Kalimpong division;

AND WHEREAS, Mahananda Wildlife Sanctuary is characterized by elephant migration route and variety of migratory elephant takes shelters. Royal Bengal tiger (*Panthera tigris*) was also reported from the Sanctuary during monsoons and winter seasons. The area is also famous for chital (*Axis axis*), barking deer (*Muntiacus munjtak*), boar (*Sus scrofa*), pangolin (*Manis crassicaudata*), sambar (*Rusa unicolour*), Rhesus monkey (*Macaca mulatta*), Himalayan black bear (*Ursus thibetanus laniger*), fishing cat (*Prionailurus viverrinus*), jungle cat (*Felis chaus*), clouded leopard (*Neofelis nebulosa*), rare mountain goat (*Capricornis thar*), etc.;

AND WHEREAS, the important flora of the Mahananda Wildlife Sanctuary *Phoenix rupicola* (endemic), akashmoni (*Acacia auriculiformis*), sirish (*Albizzia falcataria*), mandane (*Acrocarpus fraxinifolius*), haldu (*Adina cordifolia*), mahaneem (*Alianthus exelsa*), neem (*Azadiracta indica*), kadam (*Anthocephalus cadamba*), chaplasa/Ban kathal (*Artocarpus chaplasha*), lahasune (*Amoora rehituka*), kainjal/urium (*Bischofia javanica*), simul (*Bombax ceiba*), birch/aulesaur (*Betula cylindrostachya*), kumbhi (*Careya arborea*), setisal / satsayer (*Delbergia latifolia*), phaledo *(Erythrina arborescens*), rudrakha (*Elaeocarpus sphaericus*), bakphul (*Sesbania grandflora*), sal, sakhua (*Shorea robusta*), cloroti (*Swietenia febrifuga*), khanakpa (*Tetradium fraxinifolium*), tuni/tun (*Toona ciliata*), bhalu kath (*Talaume hodgsomi*), pipli – aule (*Ulmus lancifolia)* asharay (*Vabernun erubescens*), falamay (*Walsura tabulate),* lohakat (*Xylia dolabriformis*), kul(*Zizyphus mauritiana*) etc.;

AND WHEREAS, the major fauna of the Mahananda Wildlife Sanctuary includes mammals such as Sikkim large-clawed shrew (*Soriculus nigrescens Gray*), Hodgson's brown-toothed shrew (*Episoriculus caudatus Horsefield*), Indian long-tailed shrew (*Soriculus leucops Horsefield*), Himalayan water shrew (*Chimmarogale platycephala himalayica*), fulvour fruit bat (*Rousettus leschenaultii*), demares flying fox (*Pteropus giganteus*), Dobson's tube nosed bat (*Murinacyclotis, Dobson*), Himalayan hairy-winged bat (H*ariooeephalus harpia lasyuras, Hodgson*), Assamese macaque (*Maeaea assamensis pelops, Hodgson*), small Indian civet (*Viverricula indica*), toddy cat (*Paradosurus hermaphrodites*), , leopard (*Panthera pardus*), gaur (*Ribos frontatis gaurus*), common otter (*Lutra lutra*), Elephant (*Elephas indicus*), serow (Copricornis sumatraensis Hodgson), Indian or black naped hare (*Lepus nigricollis ruficaudatus, Geoffroy*), lesser giant flying squirrel (*Petaurista elegans, Gray*), etc.;

AND WHEREAS, the bird species recorded from the Sanctuary are black-arrested baza (*Avideda leuphotes syama*), western coas hawk (*Accipiter badius scheedowl*), besta sparrow hawk (*Accipiter virgatus affinis*), Himalayan hawk-eagle (*Spisetus nipalensis nipalensis*), block or king vulture (*Torgos calvus*), Himalayan falconet (*Microhierax caerulescens*), Himalayan kestrel (*Falco tinnunculus interstinctus*), blossom-headed parakeet (*Psittacula cyanocephala bengalensis*), Hodgson's hawk-cuckoo (*Cuculus fagax nisicolor*), Himalayan cuckoo (*Cuculus saturatus saturates*), tawny fish owl (*Bubo flavipe*), collard pigmy owlet (*Glaucidium brodiei brodiei*), Himalayan barred owlet (*Glaucidium cuculoides*), Himalayan brown wood owl (*Strix newarensis*), Himalayan jungle nightjar (*Caprimulgus indicus*), broad-villed roller (*Ebrustomus orientalis cyanicollis*), white-breasted kingfisher (*Halcyon smyrnensis*), blue naped pitta (*Pitta nipalensis*), green breasted pitta (*Pitta sordica cuculata*), rufous short-toed (*Calandrella cinerea dukhunesis*), Sikkim long-tailed minivet *(Pericrocotus etholoous latetus*), scarlet minivet (*Pericrocuttus flammeus*), brown backed pied flycatcher shrike (*Hemipus picatus capitalis*), black crested yellow bulbul (*Pycnotus melancicterus flaviventris*), brown dipper (*Cinclus pallasii tenuirostris*), rusty bellied shortwing (*Branchueteryz hyperythrea*), Nepal shortwing (*Brechupteryx leucophrys nipalensis*), purple thrush (*Cochoa purpirea*), green thrush (*Cochoa viridis*), Assam red-fronted babbler

(*Stachyridopsis rufifrons ambigua*), red-headed babbler (*Stachyris ruficeps*), rufous bellied nillava (*Niltava sundara*), pale blue flycatcher (N*iltava unicolor*), blue throated flycatcher (*Niltava rubeculoides*), etc.;

AND WHEREAS, the major reptiles and amphibians found in Mahananda Wildlife Sanctuary are Fan-throated lizard (*Sitana ponticeriana),* Garden lizard (*Calotes ersicolor),* Bark Gecko (*Hemidactylus leschenaultia),* Ornamental flying snake(*Chrysopale ornate),* King Cobra(*Ophiophagus hanna),* Cobra (*Naja naja),* Buff-striped keel back (*Amphiesma stolata),* Land monitor lizard (*varnus bengalensis),* Common Indian Skink (*Mabuya carinata),* Indian tent turtle (*Kachuga tentoria),* Indian Bull Frog (*Rana tigerina),*Tree Frog (*Polypedates leucomystax),* Ballon Frog (*Uperodon globulosus),* Leaping Frog (*Rana erythraea),* Warty Frog (*Rana Verrucosa)* etc ;

AND WHEREAS, the major butterflies so far known to be found in Mahananda Wildlife Sanctuary are, Common Bluebottle butterfly (*Graphium sarpedon),* Tailed Jay butterfly (*Graphium Agamemnon),* Common Five ring butterfly (*Ypthima baldus),* Plain Tiger butterfly (*Danaus),* Common Leopard butterfly (*Phalanta Phalantha),* Banded Treebrown butterfly *Neope confuse,* Psyche butterfly (*Leptosia nina),* Crimson Rose butterfly (*Pachliopta hector),* Danaid eggfly butterfly (*Hypolimnas misippus),* Chocolate Pansy butterfly (*Precis iphita),* Painted Jazebel butterfly (*Delias hyperate),* Oakleaf butterfly (*Kallima horsfieldi),* Common Nawab butterfly (*Charaxes athamus),* Common Sailor butterfly (*Neptis hylas),* Striped Tiger butterfly (*Danaus genutia),* Common Map (*Cyrestis thyodbmus),* Tawny Rajah butterfly (*Charaxes bernardus)* etc;

AND WHEREAS, for effective conservation and protection of the floral and faunal biodiversity of Mahananda Wildlife Sanctuary, the extent of different anthropogenic pressures has to be regulated as the immediate area adjoining this fragile ecosystem is much ecologically sensitive having great impact on this protected area and wildlife in whole of North Bengal;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Mahananda Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, , in exercise of the powers conferred by sub-section (1) clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notify 1 kilometer to 18.16 kilometers from the boundary

of the Mahananda Wildlife Sanctuary in Darjeeling , Kalimpong and Jalpaiguri District in the State of West Bengal as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as Eco-sensitive zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-Sensitive Zone-

(1) The Eco-sensitive Zone is extends from 1 kilometer to 18.16 kilometers around the boundary of Mahananda Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is approximately 539.86 square kilometer.

(2) The boundary description of the Eco Sensitive Zone of Mahananda Wildlife Sanctuary is appended as **Annexure-I**.

(3) The Maps of the Eco-sensitive Zone around Mahananda Wildlife Sanctuary and Geo-coordinates of the important way points is appended as **Annexure- II A, Annexure II B Annexure II C** and **Annexure II D.**

(4) Geo Coordinates on the boundary of Mahananda Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive zone are appended at **Annexure -III.**

(5) The list of areas falling (Villages, Tea Gardens, Forests) under the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-Sensitive Zone-

(1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-

(i) Forest;
(ii) Revenue;
(iii) Agriculture;
(iv) Panchayati Raj and Rural Development;

(v) Irrigation and Flood Control;
(vi) Tourism;
(vii) Municipal and Urban Development;
(viii) Public Works Department and Highway;
(ix) West Bengal State Pollution Control Board;
(x) Environment;
(xi) Representatives from Association of Tea Gardens, Railways, Defense, NHPC and Indian Oil Corporation.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, green area, such as, parks, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.

(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

(10) Pending preparation and approval of the Zonal Master Plan, any new developmental activities shall be governed by provisions specified at paragraph 6 of sub-para (1) and (2).

3. Measures to be taken by the State Government. - The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) Land use.– (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purposes other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the Central Government or the State Government as applicable and *vide* provisions of this notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph;

(b) efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) Natural water bodies.-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a

manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) Tourism or eco-tourism.- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone;

(b) the Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with the State Departments of Environment and Forests;

(c) the Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan;

(d) the Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone;

(e) the activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer;

Provided that beyond the distance of one kilometer from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;

(iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution. - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 and its amendments.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of

Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under these Acts.

(8) Discharge of effluents.- The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and Environment (Protection) Act, 1986 and the rules made there under these Acts.

(9) Solid wastes.- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016 and as amended from time to time; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(c) (iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(d) (iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall he permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.– Bio-Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 343 (E), dated the 28th March, 2016;

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management. - The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.**

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.- The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.– The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be incompliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.– (a) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone;

(b) only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

2. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone-

All activities in the Eco-Sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 (or the latest notification) and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses within Eco- sensitive Zone;

		(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court, dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995; dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012; and dated the 28th April, 2023 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI and in W.P.(C) No.202 of 1995.
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted. Pollution prevention technologies and noise barriers should be installed by existing industries.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited.
4.	Use or production or processing of any hazardous substance/hazardous waste.	a) No hazardous waste treatment facility shall be located within the ESZ b) All hazardous waste generated inside the ESZ shall be taken outside the ESZ. No hazardous waste generated outside the ESZ will be allowed to be handled, processed or treated inside the ESZ
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited.
8.	Use of polythene bags and plastics.	Prohibited for tourism activity. For other commercial establishment, plastic below 50 microns will be prohibited
9.	Commercial use of firewood.	Prohibited.
10.	Commercial extraction of surface and ground water.	Prohibited.
11.	Introduction of Exotic species.	Prohibited.
12.	Solid waste treatment.	(a) The bio-degradable solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide*

		notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site identified outside the Eco- sensitive Zone. (b) No solid waste generated outside the Eco Sensitive Zone will be allowed to be treated/ processed within the Eco Sensitive Zone.
13.	Treatment of Bio-Medical waste.	(a) The Bio-Medical Waste disposal in the Eco Sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016. No Bio Medical Waste treatment facility shall be located within the Eco Sensitive Zone. (b) All waste generated from bio-medical units within the Eco-sensitive Zone shall be taken outside the Eco-sensitive Zone for treatment and disposal. No Bio-medical waste generated outside the Eco-sensitive Zone will be allowed to be handled, processed or treated inside the Eco-sensitive Zone.
14.	Treatment of plastic waste.	(a) The Plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the MoEF&CC *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time**.** Additional site-specific restrictions may be prescribed in the Zonal Master Plan. No plastic waste treatment facility should be located inside the Eco-sensitive Zone. (b) All plastic waste generated inside the Eco-sensitive Zone shall be taken outside the Eco-sensitive Zone . No plastic waste generated outside the Eco-sensitive Zone will be allowed to be handled, processed or treated inside the Eco-sensitive Zone.
15.	Treatment of E-waste.	**(a)** The e-waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the e-waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time. Specifications and additional site-specific restrictions may be prescribed in the Zonal Master Plan. No e-waste treatment facility should be located inside the Eco-sensitive Zone.

		(b) All e-waste generated inside the Eco-sensitive Zone shall be taken outside the Eco-sensitive Zone . No e-waste generated outside the Eco-sensitive Zone will be allowed to be handled, processed or treated inside the Eco-sensitive Zone.
B. Regulated Activities		
16.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for Eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
17.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents: Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
18.	Small scale non-polluting industries.	Non-polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, as amended from time to time, and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
19.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government.

		(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made there under.
20.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce.	Regulated under applicable laws.
21.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws of underground cabling may be promoted.
22.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
23.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation with proper Environment Impact Assessment, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
24.	Undertaking other activities related to tourism like over flying over the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated as per the applicable laws.
25.	Protection of Hill Slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated as per applicable laws.
27.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
28..	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated as per applicable laws except for meeting local needs.
29.	Open Well, Bore Well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated and the activity should be strictly monitored by the appropriate authority.
30.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise, the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per the applicable laws.

31.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
32.	Commercial Sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
33.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
34.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
35.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
26.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
37.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
38.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
39.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
40.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
41.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
42.	Restoration of Degraded Land/ Forests/ Habitat.	Shall be actively promoted.
43.	Environmental Awareness.	Shall be actively promoted.
44.	Sustainable Forest Management Activities.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-Sensitive Zone Notification-

For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

S.No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Concerned District Collector	*ex-officio,* Chairman;
(ii)	A representative of Non-governmental Organization working in the field of wildlife conservation (including heritage conservation) to be nominated by the State Government for time to time every three years	Member;
(iii)	An expert in the area of ecology from reputed Institution or University to be nominated by the State Government from time to time every three years.	Member;
(iv)	An expert in Biodiversity to be nominated by the State Government from time to time every three years.	Member;
(v)	A representative from State Public Works Department	*ex-officio*, Member;
(vi)	A representative from State Pollution Control Board	*ex-officio*, Member;
(vii)	Concerned Divisional Forest Officer	*ex-officio*, Member-Secretary.

6. Functions of the Monitoring Committee –

(1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case maybe, for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests vide number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite representative or expert from concerned Department, representative from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities for the period up to the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State in pro-forma specified in **Annexure-V**, appended to this notification.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. **Additional Measures:** The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. **Supreme Court, etc. orders.** The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/36/2016/ESZ-RE]

VED PRAKASH MISHRA, Jt. Secy.

Annexure I

BOUNDARY DESCRIPTION OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MAHANANDA WILDLIFE SANCTUARY

In the **Northern Side**, the ESZ has a common boundary with Kurseong forest division blocks like Babukhola forest, Mahaldiram forest, Bara Sittong Khasmahal, Longku Khasmahal, Rolak Khasmahal, Lizziepur and Makaibari Tea garden.

The **Western Boundary**, the ESZ is moving along the Pankabhari road to a certain extent having boundary with Makaibari Tea Garden, Patong Tea Garden, Manjhua Forest, Eastern Boudary of Mechi River, Suraj Barer Chat, Sirsia Tea Garden, Merry view Tea Garden, Sanyasi Thaner Chat, part of Bengdubi Military Station, Balason River, Fulbari Chat, Paten Jarer Chat, then ESZ runs along the Maneckshaw Marg and Bikas Road and merges with the 1 km minimum ESZ line from the Mahananda PA till it cuts NH 55. Then it moves along Panchanoi river and boundary of Mohurgong-Gulma Tea Garden on the eastern side.

The Demarcated **Southern Boundary** of ESZ merges with 1 km minimum ESZ line from Mahananda PA sharing boundary with Toribari-Pulman road. After reaching Bengal Safari the boundary of ESZ turns downward to 70 meters north of Sevoke road and Sevoke Military Station.Further it runs southward constituting the Forest of Baikunthapur like Sarugarah, Dabgram, Ambari, Belacoba Ranges till 300 meters north of Gajoldoba road finally meeting **Point E (N26° 47’ 54.38”E88° 32’ 02.16”).**

The **Eastern Boundary** of ESZ runs from **Point E (N26° 47’ 54.38”E88° 32’ 02.16”)** to 500 meters eastward to the of Eastern Boundary of Teesta river bed sharing boundary with Washabari tea garden, Mongpong Forest, Gulling Forest of Kalimpong forest division and Yang Khasmahal.

DETAILED DESCRIPTION OF THE BOUNDARY OF THE ECO SENSITIVE ZONE OF MAHANANDA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH IMPORTANT GEO COORDINATE REFERENCES

EXTENT	DESCRIPTION
NORTHERN	From **point I(N26° 58' 02.98" E88° 26' 14.62"),**ESZ boundary moves in western direction cutting across the Teesta river channel to the point N26° 57' 46.42"E88° 25' 29.83"; Further it moves along the ridge in the south western direction between the Kandung Forest busty and Lonku khasmahal to the point N26° 57' 15.85"E88° 25' 17.56"; Further it moves in south western direction up to the point N26° 56' 31.08"E88° 25' 15.15" . Then the boundary moves in western direction cutting across selphu-6th mile road up to the point N26° 56' 17.37"E88° 24' 26.18".Further it moves in south western direction up to the point N26° 55'03.23"E88° 23' 34.26". Then moving along the ridge parallel to the Latpanchor forest approximately at a distance of 1 km from it to the point N26° 54' 26.31"E88° 22' 39.37" .Then further in western direction cutting Simringtea garden to the point N26° 53 36.61 E88° 21 12.66.Then further in south western direction cutting across Gitingy Tea Garden up to the point N26° 52' 30.18"E88° 20 52.36.Then moves down the hill to the point N26° 51'54.62"E88° 20' 57.54".Then moves in western direction up to the point N26° 51' 45.75"E88° 20' 44.86".Further down south towards Nurbang Tea Garden up to the point N26° 50' 39.61"E88° 21' 08.76".Then towards western side to the point N26° 50' 27.48"E88° 20' 33.50". Then further towards western side to the point N26° 50' 31.22"E88 °20' 23.08".Then towards northern direction towards the point N26° 50' 33.63"E88° 20' 20.96".Then towards eastern side up to the point N26° 50' 34.16"E80° 20' 22.57". Then further north to this point N26° 50' 38.09"E88° 20' 19.51".Then further north to the point N26° 50' 41.01"E88° 20' 17.09". Then towards north west direction to the point N26° 50' 53.77"E88° 19' 51.44". Then further north west to point N26° 50' 59. 31" E88° 19' 25.87". To the western side up to the point N26° 50' 57.29"E88° 19' 19.21".Then moving in western direction along the road up to the point N26° 50' 56 .01"E88° 19' 17.78". Then moving along the road further north up to the point N26° 50' 56.04"E88° 19' 14.34".Further in western direction up to the point N26° 50' 40.30"E88° 18' 47.90".Then further north up to the point N26° 50' 44.86'N88° 18' 46.25".Then further west up to the point N26° 50' 47.58"E88° 18' 28.75".Then further to the west to the point N26° 50' 44.14"E88° 18' 18.32".Then further to the north to the point N26° 50'44.97"E88° 18' 17.18". Then further west to the point

	N26° 50’ 41.85”E88° 18’ 12.50”.Then further south west to the point N26° 50’ 38.99”E88° 18’ 10.05” which is approximately at the distance of 30 meters from Subash Ghising marg.Then to the north at Kurseong-Matigara road to the point N26° 50’ 39.82”E88°18’ 09.32”.Then further west to the point N26° 50’ 36.10”E88°18’ 06.76”. Then further south to the point N26° 50’ 34.86”E88° 18’ 08.30”.Then to the west to the point N26° 50 33.83 E88°18’07.24”.Then to the north in Kurseong-Matigara road to the point N26° 50’ 36.81”E88° 18’ 04.78”.Then to further north west along the Kurseong-Matigara road to the point N26° 50’ 36.33”E88° 18’ 00.17”.Further it moves along the Kurseong-Matigara highway up to the point N26° 50’ 32.76”E88° 18’ 01.64”.Then further movement in the northern direction up to the **Point J(N26° 50’ 36.46”E88° 17’ 53.72”).**
WESTERN	From **Point J (N26° 50’ 36.46” E88° 17’ 53.72”),** further western side till the point N26° 50’ 36.66”E88° 16’ 32.75”, then further west to point N26° 50’ 22.59”E88° 16’ 11.02”, to south west direction up to the point N26° 49’ 59.29”E88° 15’ 59.17”, then towards western side to the point N26°49’ 58.66”E88° 15’ 52.94”.To slight north west direction up to the point N26°50’ 01.73”E88° 15’ 44.87” along the road. Then down southern side up to the point N26° 49’ 46.76”E88° 15’ 41.88”, and further south to point N26° 49’ 42.41”E88° 15’ 36.62”. To the point N26° 49’ 36.38”E88° 15’ 27.86”. Further south up to the point N26° 49’ 31.03”E88° 15’ 27.47”. Then to the point N26° 49’ 32.27”E88° 15’ 22.06”. Then along the road to the point N26° 49’ 36.12”E88° 15’ 20.72”. Then to western side along the road to the point N26° 49’ 34.03”E88° 15’ 11.61”. Then in south eastern side to the point N26° 49’ 00.25”E88° 14’ 50.83”. Along the upland to the point N26° 48’ 53.46” E88° 14’ 54.09”. To the point N26° 48’ 40.57”E88° 15’ 04.33”. To further south up to point N26° 48’ 16.93”E88° 15’ 05.52”. And then to the point N26° 48’ 15.64”E88° 15’ 16.73”. Till the **Point K [N26° 48’02.59”E88° 15’ 11.02”]**. From point K, along the road to the point N26° 48’ 05.77”E88° 15’ 25.41”. To the point N26° 48’ 00.41”E88° 15’ 40.88”. Along the road to the point N26° 48’ 02.58”E88° 16’ 14.55”. Further to the point N26° 48’ 21.30”E88° 16’ 34.51”.To the point N26° 48’ 22.20”E88° 16’ 29.31”, then to the point N26° 48’ 24.48”E88° 16’ 23.8”. To the point N26° 48’ 31.84”E88° 16’ 25.61” where the boundary meets a stream. Then along the stream to the point N26° 48’ 31.02”E88° 16’ 30.89”. further along the stream to the point N26° 48’ 29.44”E88° 16’ 33.35” and along the stream to the point N26° 48’ 29.53”E88° 16’ 36.46”, further along the stream to the point N26° 48’ 25.87”E88° 16’ 39.67”. To the point where the stream meets the road over the bridge at N26° 48’ 24.04”E88° 16’ 43.86”. And then along the road to the point N26° 48’ 23.24”E88° 17’ 8.67”. further to **Point L [N**

	26° 47' 47.19"E88° 16' 57.92"] excluding Garidhura bazar and surrounding area to the point N26° 47' 54.2"E88° 16' 29.08". then along the tea garden division road to the point N26° 47' 41.24"E88° 15' 53.68",then to the point N26° 47' 41.04"E88 °15' 12.55" till it meets the Balason river, then across the Balason river to the N26° 47' 32.21"E88° 14' 37.81".Then along the road to the point N26° 47' 15.00"E88° 14' 33.46" near Panighatta 4 number gate, then along the road in front of Loreto high school Panighatta in western direction to the point N26° 47' 04.49"E88° 13' 37.53".Then along the road in western direction to the point 26° 47' 07.00"E88° 13' 28.03".Then further along the path to the point 26° 46' 58.30"E88° 13' 13.52", .and further west along the existing path to the point N26° 46' 43.62"E88° 12' 53.92".From here, it moves in northern direction along the eastern boundary of the manjha river to the point N26° 47' 05.65"E88° 12' 37.98". Then cutting across the river on its western boundary to the point N26° 47' 09.87"E88° 12' 29.40", and further moving north to the point N26° 47' 17.24"E88° 12' 26.34" ,then cutting across the Tea estate road to the point N26° 47' 17.87"E88° 12' 24.39", Then ESZ moves in north western direction to the point N26° 47' 34.91"E88° 11' 56.55"coveringLohagar Forest. Then it moves in south western direction to the point N26° 47' 19.14"E88° 11' 43.23".Further it moves in south western direction cutting Lohagar tea estate road till **Point M[N26° 47'05.61"E88° 11' 22.97"]**.Then ESZ line moves along the western boundary of Lohagar forest and eastern boundary of Mechi river in the southern direction to the point N26° 45' 50.89"E88° 11' 36.82". Then further down along the eastern boundary of Mechi river up to the point N26° 45' 03.43"E88° 11' 38.42".Then further in southern direction along the western boundary of Mechi forest and eastern boundary of Mechi river to the point N26° 44' 19.63"E88° 11' 29.50".Then further south along the eastern boundary of Mechi river to the point N26° 43' 42.77"E88° 11' 22.16".Then further south up to the point N26° 43' 21.78"E88° 10' 59.93".Further down south near to the International boundary in the Mechi river up to the **Point N[N26° 43'03.87"E88° 10' 48.45"]**.Then moving Eastern direction up to the point N26°43' 05.47"E88° 11' 06.97".Then further north up to the point N26° 43' 20.46"E88° 11' 06.76".Then moving Eastern direction up to the point N26° 43' 21.49"E88° 11' 21.51".Further moving in south eastern direction to the point N26° 43' 17.12"E88° 11' 30.43".Then further moving in eastern direction to the point N26° 43' 18.40"E88° 11' 39.61".Further moving approximately 420 meters in northern direction up to the point N26° 43' 32.16"E88° 11' 37.84".Then to north eastern direction to the point N26° 43' 34.97"E88° 11' 40.28", further northern direction to the point N26° 43' 48.10"E88° 11' 38.75",then towards north eastern direction to the point N26° 43' 48.73"E88° 11' 39.63", then

	further northern direction to the point N26° 43’ 52.82”E88° 11’ 36.84”,then further towards eastern direction to the point N26° 43’ 52.13”E88° 11’ 46.35”,then further towards south eastern direction to the point N26° 43’ 50.74”E88° 11’ 49.12”, then moving in eastern direction to the point N26° 43’ 51.09”E88° 12’ 04.48”,then further towards northern direction up to the point N26° 44’ 01.61”E88° 11’ 58.52”,then further to the point N26° 44’ 03.03”E88° 11’ 59.97”,then moving in eastern direction to the point N26° 44’ 06.42”E88° 12’ 13.05”,then further north to the point N26° 44’ 11.48”E88° 12’ 12.90”, then further to the east up to the point N26° 44’ 11.87”E88° 12’ 37.54”,then moving further north crossing Kolabari primary school to the point N26° 44’ 23.64”E88° 12’ 36.49”,then further north along the eastern boundary of Mechi forest to the point N26° 44’ 53.51”E88° 12’ 40.40”,then further moving from tea garden road to near the western boundary of Panighatta road to the point N26° 44’ 57.64”E88° 13’ 41.40”,then further in north eastern direction up to the point N26° 45’ 01.72”E88° 13’ 46.72”,then further north along the tea garden road up to the point N26° 45’ 05.22”E88° 13’ 42.72”, then towards eastern direction near the Belgachi high school to the point N26° 45’ 10.24”E88° 13’ 47.18”, then towards northern direction up to the point N26° 45’ 11.36”E88° 13’ 45.81”, further moving in eastern direction to the point N26° 45’ 17.14”E88° 13’ 51.87”, then further moving north to the point N26° 45’ 19.85”E88° 13’ 52.44”, further in eastern direction to the point N26° 45’ 19.90”E88° 13’ 55.58”, further moving in southern direction till it cuts Panighatta main road to the **point O [N26° 45’ 12.97”E88° 13’ 56.39”], t**hen moving along the Panighatta road in eastern direction before Kadma bridge up to the point N26° 45’ 21.26”E88° 14’ 19.56”, then further moving in southern direction along the western boundary of Kadma river up to the point N26° 45’ 10.79”E88° 14’ 14.09”, then further along the western boundary of river up to the point N26° 45’ 06.68”E88° 14’ 18.04”, then further in southern to the point N26° 44’ 54.60”E88° 14’ 19.47”, then further in south eastern direction to the point N26° 44’ 47.48”E88° 14’ 28.63”, then further to the point N26° 44’ 46.23”E88° 14’ 28.76”, then further along the boundary of river in the south western direction up to the point N26° 44’ 43.37”E88° 14’ 24.41”, further to south eastern direction to the point N26° 44’ 39.59”E88° 14’ 27.76”, then further south to the point N26° 44’ 33.70”E88 14’ 27.92”, further in south eastern direction to the point N26° 44’ 32.86”E88° 14’ 30.69”, further down south till point N26° 44’ 15.68” E88° 14’ 36.65”, then towards eastern direction to the point N26° 44’ 21.13”E88° 14’ 42.06”, then further south to the point N26° 44’ 12.32”E88° 14’ 45.22”, then ESZ line moves in southern direction till point N26° 44’ 03.76”E88° 14’ 46.15”, then moving south eastern direction to the point N26° 44’ 02.57”E88° 14’ 49.16”,

	then moves in southern direction to the point N26° 43' 56.57"E88° 14' 46.88", then moves south to the point N26° 43' 52.71"E88° 14' 47.67", further it moves in south eastern direction to the point N26° 43' 51.06"E88° 14' 43.64, then it moves south to the point N26° 43' 32.21"E88° 14' 48.94", further movement in southern direction to the point N26° 43' 22.14"E88° 14' 53.74", then it moves down south till the point N26° 43' 19.25"E88° 14' 55.87", then it moves in southern direction to the point N26° 43' 12.91"E88° 14' 59.84", then to south western direction to the point N26° 43'10.53"E88° 14' 57.24", further to the south to the point N26° 43' 08.81"E88° 14' 58.44", then towards eastern direction to the point N26° 43' 11.84"E88 °15' 04.26", further in south eastern direction to the point N26° 43' 06.68"E88° 15' 13.11", then to north eastern direction to the point N26° 43' 17.83"E88° 15' 17.80", then in south eastern direction to the point N26° 43' 12.43"E88° 15' 36.67", further south to the point N26° 42' 51 .41"E88° 15' 35.98", further towards eastern direction up to the point N26° 42' 50.77" E88° 15' 27.36", further moving south to the point N26° 42' 36.69"E88° 15' 32.37", then in eastern direction to the point N26° 42' 37.96"E88° 15' 34.30", further movement in southern direction up to the point N26° 42' 29.91"E88° 15' 40.06", further in eastern direction to the point N26° 42' 30.01"E88° 15' 42.95", then towards south western direction to the point N26° 42' 28.14"E88° 15' 42.68", then in south eastern direction to the point N26° 42' 23.40"E88° 15' 46.47", further in eastern direction to the point N26° 42' 23.72"E88° 15' 48.08", then to south eastern direction to the point N26° 42' 23.54"E88° 15' 48.61", further in south western direction to the point N26° 42' 22.98"E88° 15' 48.50", further in eastern direction to the point N26°42' 22.32"E88° 15' 47.29", further in south western direction to the point N26° 42' 19.67"E88° 15' 46.11", then in southern direction to the point N26° 42' 12.92"E88° 15' 49.79", then towards western direction to the point N26° 42' 11.68"E88° 15' 48.17" , then movement in southern direction to the point N26° 42' 08.20"E88° 15' 50.27", further to south western direction to the point N26° 42' 05.10"E88° 15' 47.59", then in southern direction to the point N26° 41' 58.19"E88° 15' 51.84", further in south eastern direction to the **point P [N26° 41'54.96"E88° 15' 57.52"],** then it moves in eastern direction to the point N26° 42' 08.60"E88° 16' 54.13", further in south eastern direction to the point N26° 41' 44.52"E88° 17' 07.99", then it moves in eastern direction to the point N26° 41' 46.94"E88° 17' 11.63", further moves in southern direction till the point N26° 41' 41.25"E88° 17' 12.17", which is approximately at a distance of 40 meters north of Asian Highway-02. The boundary moves from here in eastern direction parallel to Asian highway to the point N26° 41' 41.12"E88° 17' 16.70", further in northern direction to the point N26° 41' 45.86"E88° 17' 15.02", further to the north

	to the point N26° 41' 50.48"E88° 17' 11.85", then it moves in north eastern direction to the point N26° 41' 58.51"E88° 17' 12.82", further it moves in eastern direction to the point N26° 42' 07.77"E88° 17' 24.48", further it moves in north western direction to the point N26° 42' 20.66"E88° 17' 16.91", from here it moves in western direction to the point 26° 42' 25.35"E88° 17' 43.97", further it moves in northern direction to the point N26° 43' 21.73"E88° 17' 51.64", then it moves slightly in north western direction to the point N26° 43' 48.83"E88° 17' 34.14", further it moves in eastern direction cutting Bagdogra-Panighata main road to the point N26° 43' 53.83"E88° 17' 54.60", further to the south till the point N26° 43' 49.50"E88° 17' 54.69", further it moves along the main road and then along the tea garden road in eastern direction to the point N26° 43' 54.44"E88° 18' 47.23", further it moves in eastern direction till the **point Q[N26° 43' 53.70"E88° 19' 18.93"].**Further it moves in northern direction to the point N26° 44' 13.71"E88° 19' 07.77", then it moves further in north eastern direction cutting across Tarabarir chhat to the point N26° 44' 37.59"E88° 19' 09.85", further it moves in northern direction to a point N26° 45' 35.62"E88° 18' 19.24", which is approximately at a distance of 130 meters from the western boundary of Balason river, further it moves in eastern direction cutting across Baunibhitar chhat and to the point N26° 45' 53.75"E88° 18' 50.21" which is at the eastern boundary of Balason river. Further it moves in northern direction to the point N26° 46' 16.36"E88° 18' 01.58", further across the river bed and tea garden bushes to the point N26° 46' 30.22"E88° 18' 07.76", then across another stream to the point N26° 46' 37.55"E88° 18' 21.28", to the point N26° 46' 45.39"E88° 18' 22.61", then along the road to the point N26° 46' 45.36"E88° 18' 23.68", further eastern side along the road to the point N26 °46' 42.06"E88° 18' 28.29", and further east to the point along the point N26° 46' 42.28"E88° 18' 39.47", across a small stream to the point N26° 46' 44.77"E88° 18' 41.90", then along the stream towards northern direction to the point N26° 46' 47.29"E88° 18' 37.32", further along the stream to the point N26° 46' 57.82"E88° 18' 32.69", further along the stream to the point N26° 47' 11.66"E88° 18' 27.56", then further north through a kacha path to a point N26° 47' 24.25"E88° 18' 24.82", then along the kacha path to the point N26° 47' 41.85"E88° 18' 36.26",then further eastern side till the path meets Matigara-Kurseong road to the point N26° 47' 43.05"E88° 18' 43.57", then along the Matigara-Kurseong rod till the point N26° 47' 44.14"E88° 18' 42.85", then further to eastern side along the tea garden path to the point N26° 48' 05.84"E88° 19' 05.68" where it meets another stream. Then along the western bank of stream to the point N26° 47' 54.15"E88° 19' 10.29", further

	south along the western bank of the stream to the point N26° 47' 48.08"E88° 19' 15.04", then along the western bank of the stream to the point N26° 47' 18.26"E88° 19' 37.12" where the boundary meets Sukna-Adalpur road on sher Jung Thapa bridge .Then along the sukna -Adalpur road till the point N26 °47' 21.71"E88° 19'48.18", on the corner of Madhuban park and then along the Maneckshaw marg to the point N26° 46' 55.14"E88° 20' 06.39", further down south along the Maneckshaw road to the point N26° 46' 32.49"E88° 20' 28.25", then further along the Maneckshaw marg in south direction till the point **R[N26° 46' 4.55"E88° 20' 31.46"].** Then from point R in eastern direction along the road to the point N26° 46' 07.86"E88° 20' 48.82" near St. Mary Catholic Church. Then in southern direction to the point N26° 45' 59.68"E88° 20' 53.34", then to south east direction to the point N26° 45' 49.74"E88° 21' 52.46", then in eastern direction to the point N26° 45' 58.13"E88° 22' 52.54", then in north eastern direction to the point N26° 46' 02.55"E88° 22' 55.70" on hill cart road. Then further north eastern direction to the point N26° 46' 09.09"E88° 23' 00.70" on Panchanoi river. Then along the Panchanoi river to the point N26° 46' 06.61"E88° 23' 04.05, then along the Panchanoi river to the point N26° 46' 04.77"E88° 23' 22.77", then along the meandering of Panchanoi river to the point N26° 46' 10.43"E88° 23' 29.06", further to the point N26° 46' 08.48"E88° 23' 31.84" along the river to the point N26° 46'01.19"E88° 23' 27.52", further along the Panchanoi river to the point N26° 45' 58.83"E88° 23' 33.69", then further along the Panchanoi river to the point N26° 45' 55.22"E88° 23' 33.16", further along the Panchanoi river to the point N26° 45'45.44"E88° 23' 24.69" near Salbari high school. Further along the Panchanoi river to the point N26° 45' 41.43"E88° 23' 24.17", then along the Panchanoi river to the point N26° 45' 38.17"E88° 23' 36.12, further along the Panchanoi river to the point N26° 45' 31.60"E88° 23' 31.61", then further along the Panchanoi river to the point N26° 45' 27.13"E88° 23' 33.99", then further along thePanchanoiriver to the point N26° 45' 21.02"E88 23' 42.85", then further along the Panchanoi river to the point N26° 45' 13.99"E88° 23' 41.54", then further along the Panchanoi river to the point N26° 45' 09.01"E88° 23' 41.07", then along the river to the point N26° 45' 04.89"E88° 23' 47.46", then further north the river to the point N26° 45' 05.86"E88° 23' 55.52", till the point N26° 45'04.05"E88° 23' 56.79" on the Panchanoi river. Then across the river in eastern direction to the point N26° 45' 05.90"E88° 24' 01.13" on a tea garden path on northern side of Dagapur tea estate factory. Then along the path on south eastern direction till the point N26° 44' 50.02"E88° 24' 15.81" on the tea garden road. Then on Eastern direction to the point N26° 44' 51.40"E88° 24' 17.27", then again along the tea garden road on south eastern direction to the point N26° 44' 47.31"E88°

	24’ 19.29”, then across the tea garden to the point N26° 44’ 45.46”E88° 24’ 21.21”, then to the point **S [N26° 44’ 45.43”E88° 24’ 23.23”]**in the eastern direction. Then from point S across the railway line to the point N26° 44’ 47.36”E88° 24’ 26.89”, then along the boundary of tea garden to the point N26° 44’ 54.94”E88° 24’ 28.14” across the old Anchal road. Further along the tea garden boundary to the point N26° 44’ 58.16”E88° 24’ 36.09”, then along the tea garden boundary till the point N26° 45’ 02.32”E88° 24’ 38.80”, further north along the tea garden boundary to the point N26° 45’ 10.36”E88° 24’ 33.22”, then further north along the tea garden boundary to the point N26°25’ 16.33”E88° 24’ 27.95”, then to the point N26° 45’ 16.73”E88° 24’ 33.97”, then further along the boundary of the tea garden to the point N26°46’23.05”E88°24’ 42.34”, then further north to the point N26° 45’ 27.89”E88° 24’ 48.94”, then further along the boundary N26° 45’ 28.81”E88° 24’ 58.58”, then along the boundary to the point N26° 45’ 49.73”E88° 24’ 57.74” to the point N26° 45’ 52.05”E88° 24’ 49.75”, then further along the boundary to the point N26° 46’ 02.18”E88° 24’ 45.43”, to the point N26° 46’ 06.61”E88° 24’ 38.10”, then further north along the tea garden path to the point N26° 46’ 16.77”E88° 24’ 39.93”, further along the tea garden boundary to the point N26° 46’ 29.70”E88° 24’ 43.51” to the point N26° 46’ 35.81”E88° 24’ 35.53” along the boundary of the tea garden, then further north to the point N26° 46’ 55.44”E88° 24’ 30.63” to the point N26° 47’ 10.27”E88° 24’ 19.65”, then further north to the point N26° 47’ 25.02” E88° 24’ 18.26”, then along the path to northern side up to the **point A [N26° 47’ 27.26”E88° 24’ 14.34”].**
SOUTHERN	Boundary of ESZ extends towards the southern side of**Point A N26° 47’27.26” E88° 24’14.34”** to the point N26° 47’ 15.58”E88° 25’ 32.82” on western bank of Mahananda river in east direction, then across Mahananda on the eastern bank to the point N26° 47’ 23.68”E88° 26’ 08.18” from there to the north eastern side up to the point N26° 47’ 46.25”E88° 26’ 18.77” where it meets the boundary of the Bengal safari,from there along the boundary of Bengal safari to south eastern side up to a point N26° 47’ 28.70”E88° 26’ 43.21”,from there along the boundary of the Bengal safari till it meets the National Highway at point N26° 47’29.90”E88° 26’59.69”, then along the Highway in the southern direction till the point N26° 47’ 16.79”E88° 26’ 58.78”, then across the road to the point N26° 47” 16.57”E88° 26’ 59.42”, then from across the road to the point N26° 47’ 02.66”E88° 27’ 09.61” behind Sevoke Military Station Office and in Baikunthpur forest, from here in eastern direction to the **Point B(N26°46'56.89"E88°28'50.66")**, then straight down south up to point N 26° 45’ 00.73”E88° 28’ 39.77” to the point N26° 44’ 34.71”E88° 27’ 56.19”,

	in the western direction along the boundary of Baikunthpur forest division, then further south along the boundary to the point N26° 44' 14.46"E88° 27' 55.95" and then towards eastern direction to the point N26° 44' 15.62"E88° 28' 04.45" along the boundary of Forest to the point N26° 44' 14.70"E88° 28' 08.53", then along the boundary to the point N26° 44' 12.67"E88° 28' 11.73", to the southern direction up to the point N26° 43' 50.84" E88° 28' 15.22", to south eastern direction to the point N26° 43' 25.79"E88° 29' 14.12", then along the boundary to south eastern direction up to **Point C [N26°40'29.69"E88°29'59.10"]**on the northern side of Mahananda Teesta link canal, from there towards east side along the canal at a distance of 100 m up to the point N26° 41' 04.08"E88° 34' 06.93" to further east along the canal to the **Point D N26° 41' 21.06"E88° 34' 55.75",**from point D to north along the canal at a distance of 100 meters from the canal up to the point N26° 44' 04.15"E88° 34' 19.51", from there to in north west direction across Saraswathipur tea garden till the point N26 45' 50.11"E88 32' 42.64', then further north along the western bank of Teesta river up to the **Point E (N26° 47' 54.38"E88° 32' 02.16").**
EASTERN	From **Point E (N26° 47' 54.38"E88° 32' 02.16")**, boundary of ESZ moves in north east direction till the point N26° 48' 27.09"E88°32' 41.51", then across Teesta river bed through Saogoan till the point N26° 49' 04.96"E88° 34' 11.96", then along the small stream to the point N26° 49' 06.32"E88° 34' 15.85", then towards north along the stream to the point N26° 49' 11.28"E88° 34' 15.98", then towards eastern direction along the stream to the point N26° 49' 12.07"E88° 34' 19.41", then across the stream till the point N26° 49' 23.81"E88° 34' 23.36", then through Saogoan tea estate to the point N26° 49' 45.04"E88° 34' 45.04", then from here to northern side up to **Point F [N26° 49' 59.50" E88° 34' 44.03"].**From Point F to north western direction till the eastern bank of Leesh river to the point N26° 50' 59.99"E88° 33' 54.11", then along the eastern bank of Leesh river to the point N26° 51' 25.77"E88° 33' 58.92", to further north along the river bank to the point N26° 51' 32.29"E88° 33' 57.52", then further north along the eastern bank to the point N26° 51' 46.86"E88° 33' 59.08", to the point N26° 51' 50.00"E88° 34' 02.32", then up to the national highway till **Point G[26° 51' 54.07"E88° 34' 3.96"],** then in western direction along the road across the Leesh river up to the point N26° 51' 57.95"E88° 33' 29.45", then further eastern side along the highway to the point N26° 52' 24.05"E88° 32' 32.24", further east along the highway till the point N26° 52' 17.17"E88° 32' 12.69", then further east along the highway to the point N26° 52' 16.82"E88° 31' 48.36", further along the highway to the point N26° 52' 22.54"E88° 31' 41.36", then further along the highway to the point N26° 52' 15 .27"E88°

	31’ 18.60”, then further along the highway up to the **Point H [N26° 52’ 52.79” E88° 29’ 27.19”]** justbefore Mongpong Forest check post, from here northwards side through Mongpong Forest till the point N26° 54’ 54.93”E88° 29’ 24.94”, then from here the ESZ runs along the ridge up to the point N26° 55’ 02.27”E88° 29’ 04.67”, then it runs northward to the point N26° 55’ 31.27”E88° 29’ 04.26”, then from here it moves in north western direction cutting Panbu Forest at point N26° 56’ 01.06”E88° 28’ 30.50”, then up to the point N26°56’ 05.55”E88°28’30.56”, then it moves in western direction up to the point N26° 56’ 25.95”E88° 27’ 58.59”, then moving across the Panbu forest in western direction approximately to the distance of 250 meters to the eastern bank of Teesta river up to the point N26° 56’ 29.11”E88° 26’ 50.55”, from here it moves in north eastern direction to the point N26° 56’ 50.68”E88° 26’ 59.07”, then it moves further north in the Gulling forest up to the point N26° 57’ 11.72”E88°26’ 42.49”, further it moves north near to the eastern bank of Teesta river up to **Point I[N26° 58’02.98”E88° 26’ 14.62”].**

.

Annexure II A

MAP OF MAHANANDA WILDLIFE SANCTUARY AND ITS ECO-SENSITIVE ZONE WITH GEO-COORDINATES OF THE IMPORTANT WAYPOINTS

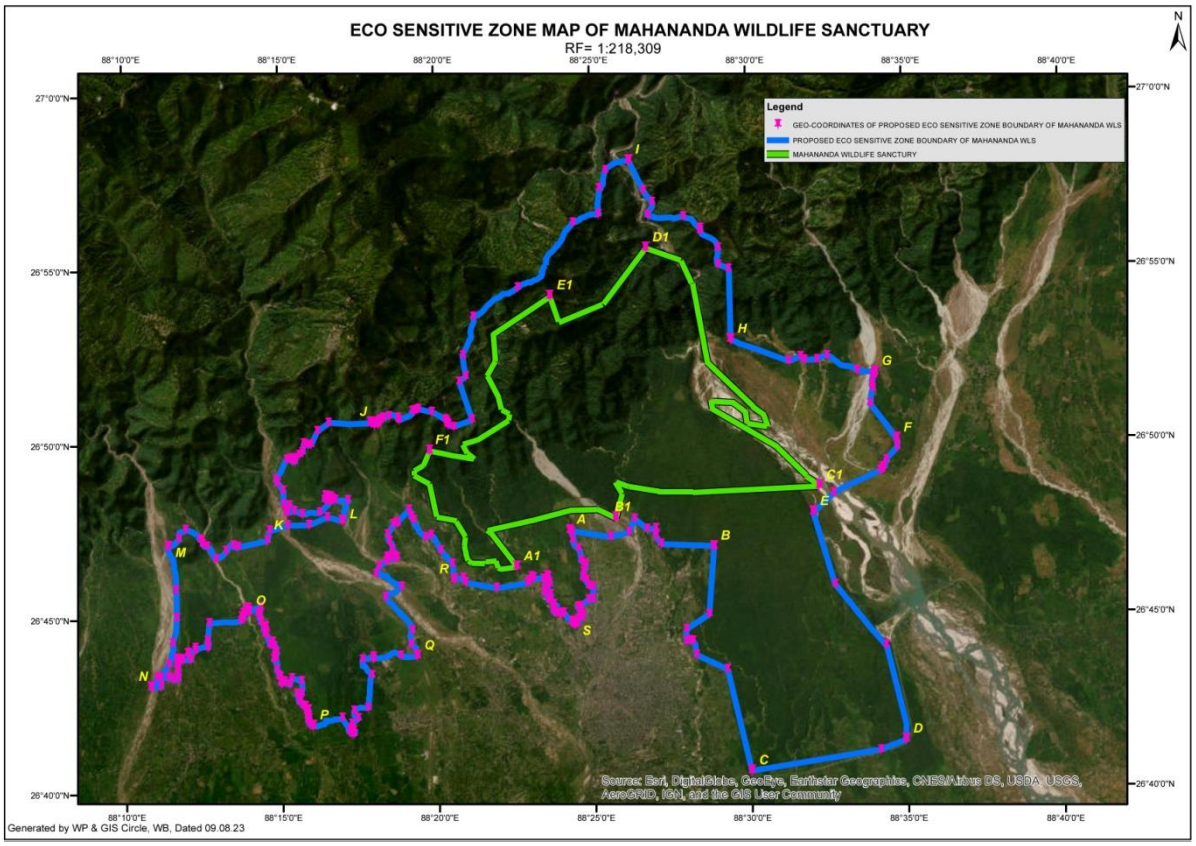

Annexure II B

MAP OF ECO SENSITIVE ZONE OF MAHANANDA WILDLIFE SANCTUARY WITH IMPORTANT POINTS ON GOOGLE EARTH

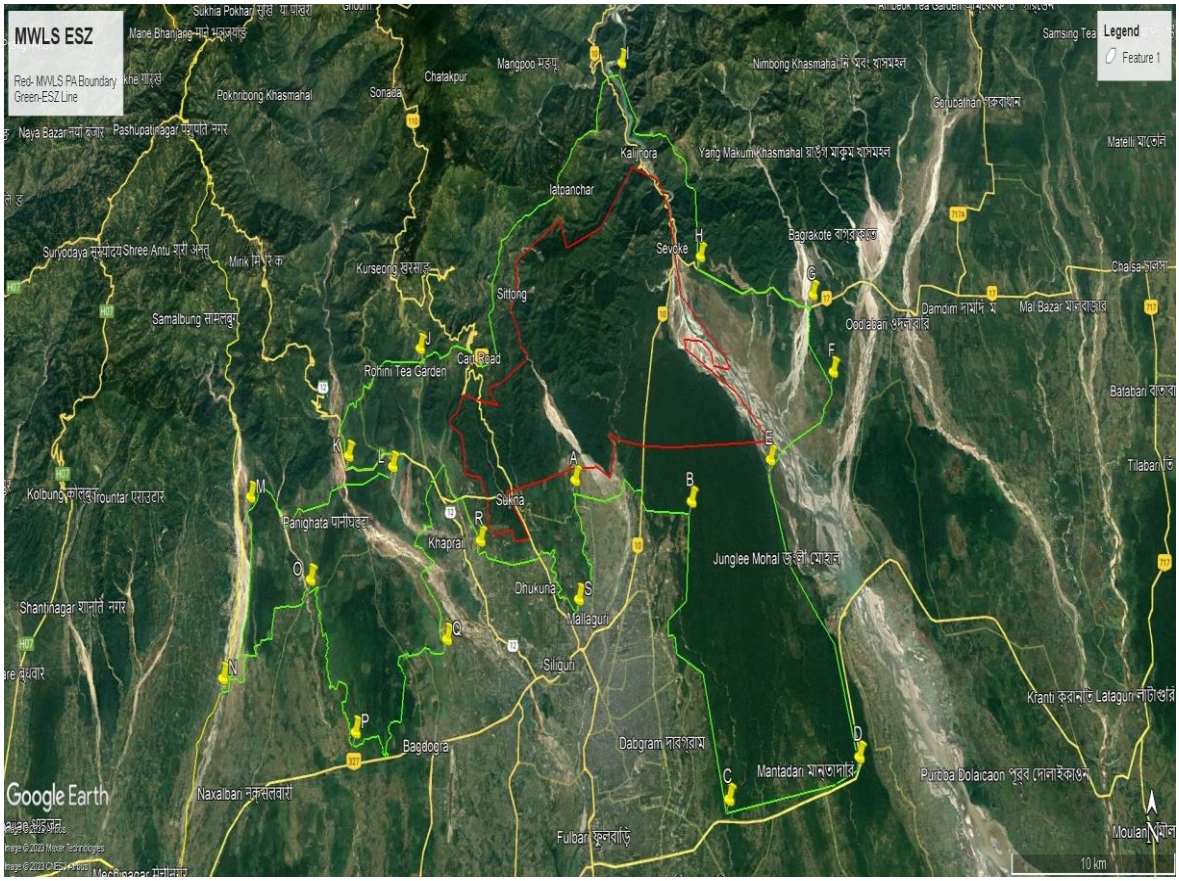

Annexure II C

MAP OF ECO SENSITIVE ZONE OF MAHANANDA WILDLIFE SANCTUARY WITH IMPORTANT POINTS ON TOPOSHEET

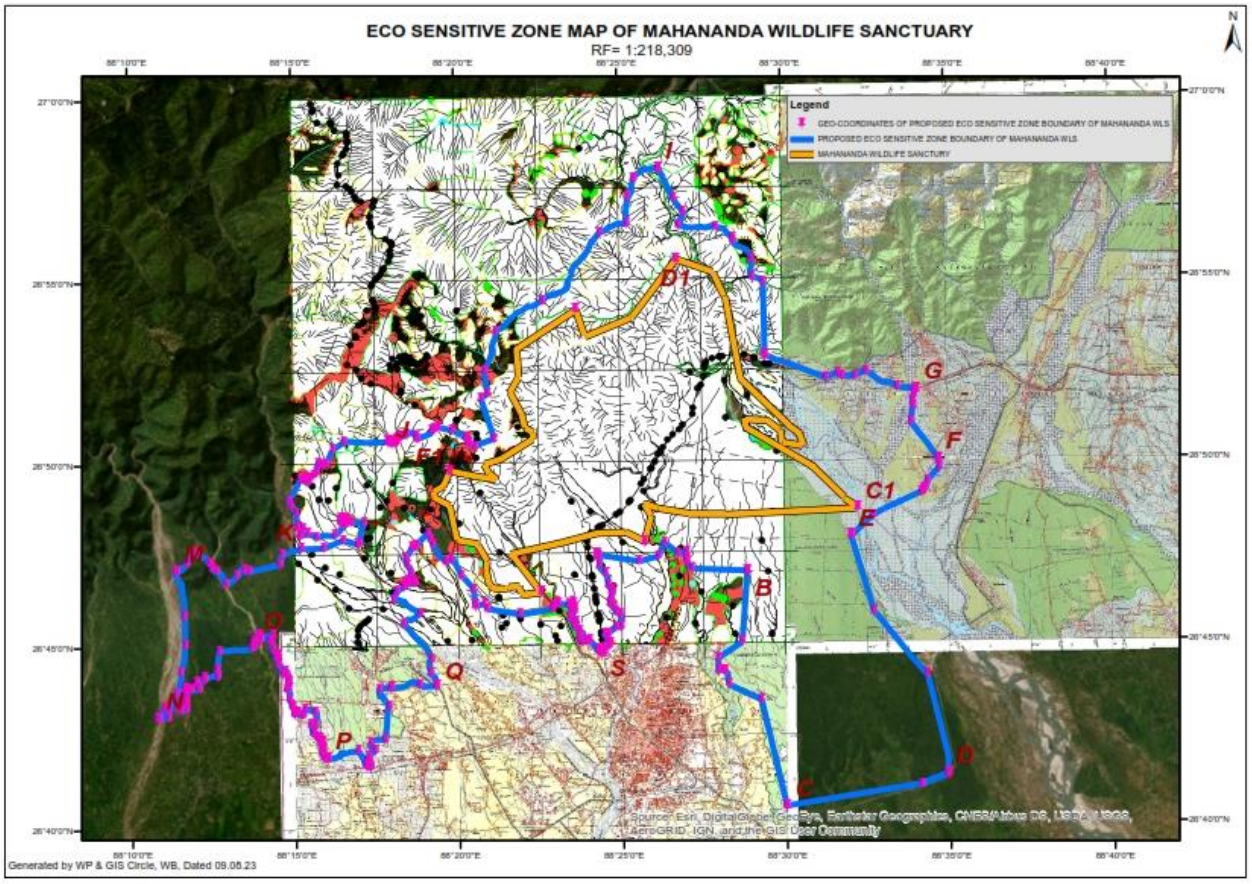

Annexure II D

LOCATION MAP OF ECO SENSITIVE ZONE OF MAHANANDA WILDLIFE SANCTUARY

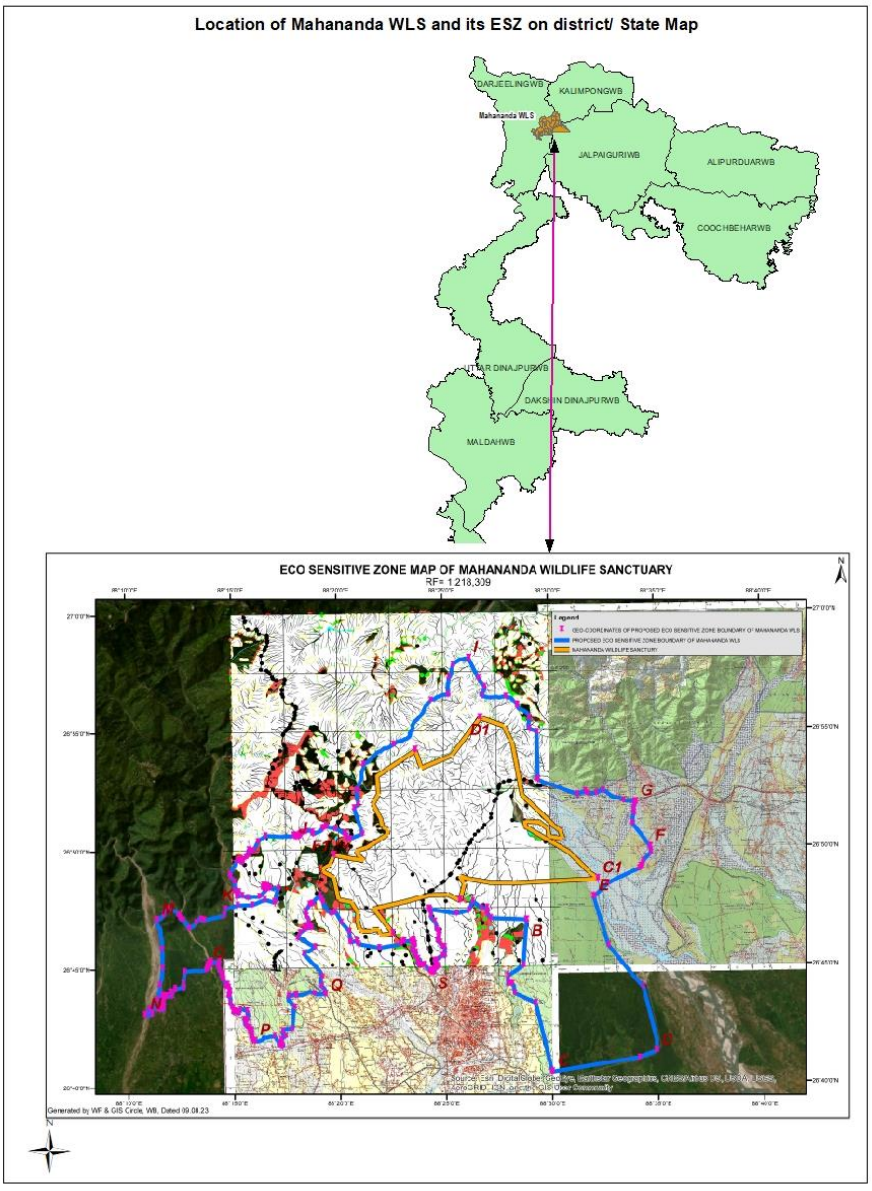

Annexure III

TABLE A: GEO COORDINATES OF THE IMPORTANT POINTS ON THE BOUNDARY OF MAHANANDA WILDLIFE SANCTUARY

Point	Latitude	Longitude
A1	N26°46'25.43"	E88°22'32.00"
B1	N26°47'48.28"	E88°25'43.17"
C1	N26°48'39.35"	E88°32'14.17"
D1	N26°55'31.65"	E88°26'45.75"
E1	N26°54'10.88"	E88°23'40.67"
F1	N26°49'46.78"	E88°19'46.14"

TABLE-B : GEO COORDINATES OF THE IMPORTANT POINTS ON THE ESZ BOUNDARY OF MAHANANDA WILDLIFE SANCTUARY

Point	Latitude	Longitude
A	N26°47’27.26”	E88°24’14.34”
B	N26°46’56.89”	E88°28’50.66”
C	N26°40’29.69”	E88°29’59.10”
D	N26°41’21.06”	E88°34’55.75”
E	N26°47’54.38”	E88°32’02.16”
F	N26°49’59.50”	E88°34’44.03”
G	N26°51’54.07”	E88°34’03.96”

H	N26°52’52.79”	E88°29’27.19”
I	N26°58’02.98”	E88°26’14.62”
J	N26°50'36.46"	E88°17'53.72"
K	N26°48'02.59"	E88°15'11.02"
L	N26°47'47.19"	E88°16'57.92"
M	N26°47'05.61"	E88°11'22.97"
N	N26°43'03.87"	E88°10'48.45"
O	N26°45'12.97"	E88°13'56.39"
P	N26°41'54.96"	E88°15'57.52"
Q	N26°43'53.70"	E88°19'18.93"
R	N26°46'04.55"	E88°20'31.46"
S	N26°44'45.43"	E88°24'23.23"

TABLE C: IMPORTANT GEO COORDINATES OF ESZ AROUND MAHANANDA WILDLIFE SANCTUARY AND THEIR DISTANCE FROM THE BOUNDARY OF THE WILDLIFE SANCTUARY

Point	Latitude	Longitude	Shortest distance from the Boundary in km
A	N26°47'27.26"	E88°24'14.34"	1
B	N26°46'56.89"	E88°28'50.66"	2.9
C	N26°40'29.69"	E88°29'59.10"	14.75
D	N26°41'21.06"	E88°34'55.75"	14.25
E	N26°47'54.38"	E88°32' 02.16"	1.3

F	N26°49'59.50"	E88°34'44.03"	5.7
G	N26°51'54.07"	E88°34' 03.96"	6.3
H	N26°52'52.79"	E88°29'27.19"	1.4
I	N26°58' 02.98"	E88°26'14.62"	4.76
J	N26°50'36.46"	E88°17'53.72"	3.4
K	N26°48' 02.59"	E88°15'11.02"	7.74
L	N26°47'47.19"	E88°16'57.92"	4.8
M	N26°47' 05.61"	E88°11'22.97"	14.25
N	N26°43' 03.87"	E88°10'48.45"	18.16
O	N26°45'12.97"	E88°13'56.39"	11.25
P	N26°41'54.96"	E88°15'57.52"	12.05
Q	N26°43'53.70"	E88°19'18.93"	5.7
R	N26°46' 04.55"	E88°20'31.46"	1.25
S	N26°44'45.43"	E88°24'23.23"	5.9

Annexure IV

LIST OF AREAS FALLING (VILLAGES, TEA GARDENS, FORESTS) UNDER ESZ OF MAHANANDA WILDLIFE SANCTUARY

Sl No	Name of Place	Land Classification	Latitude	Longitude
1	Gulmakhari	Revenue Village	N26°48’04.4”	E88°24’11.2”
2	Damra Gayer Chhat	Revenue Village	N26°45’44.29”	E88°23’33.54”
3	Lohagar Forest	Forest	N26°46’51.0”	E88°12’03.00”
4	Foutsingerchhat	Revenue Village	N26°44’57.11”	E88°24’19.96”
5	Khoklong	Revenue Village	N26°46’42.91”	E88°21’11.17”
6	Paharu	Revenue Village	N26°46’53.67”	E88°20’54.73”
7	Khoklong Chhat	Revenue Village	N26°46’32.22”	E88°21’13.07”
8	Kamala Barir Chhat	Revenue Village	N26°46’28.37”	E88°20’40.44”
9	Nunu Bairagi	Revenue Village	N26°45’02.22”	E88°23’00.40”
10	Nunu Bairagir Chhat	Revenue Village	N26°46’44.8”	E88°20’16.20”
11	Jhouguri	Revenue Village	N26°45’58.65”	E88°21’28.84”
12	Jhauguri Chhat	Revenue Village	N26°46’10.2”	E88°21’02.30”
13	Chamtaguri Chhat	Revenue Village	N26°45’58.2”	E88°22’15.80”
14	Chamta	Revenue Village	N26°46’13.89”	E88°21’27.59”
15	Mohurgong T. G	Tea Garden	N26°46’47.8”	E88°22’19.10”
16	Sittong Forest	Forest	N26°54’55.7”	E88°24’33.90”
17	Sevoke Forest	Forest	N26°52’42.6”	E88°28’14.40”
18	Latpanchar	Forest	N26°54’41.2”	E88°24’19.70”
19	Sepoydhura	Tea Garden	N26°50’27.0”	E88°20’64.00”
20	Simring T. G	Tea Garden	N26°53’25.45”	E88°21’37.29”

21	Rhontong	Revenue Village	N26°50’10.51”	E88°20’33.15”
22	Bamonpokhri Forest	Forest	N26°48’56.87”	E88°16’48.75”
23	Lama Gumba Forest	Forest	N26°49’8.98”	E88°18’42.11”
24	Rohini T. G	Tea Garden	N26°50’22.23”	E88°17’23.70”
25	Lohagar T. G	Tea Garden	N26°47’25.0”	E88°12’03.00”
26	Manjha T. G	Tea Garden	N26°46’14.9”	E88°12’34.80”
27	Saptagirikhelaghar T. G	Tea Garden	N26°44’14.10”	E88°25’47.17”
28	Kandung Forest Basti	Revenue Village	N26°56’31.12”	E88°25’52.00”
29	Paschim Totgoan	Revenue Village	N26°50’26.4”	E88°31’28.40”
30	Purba Totgaon	Revenue Village	N26°50’30.9”	E88°31’31.70”
31	Rakti Forest	Forest	N26°47’48.61”	E88°17’28.03”
32	Baikhuntapur Forest	Forest	N26°44’36.71”	E88°27’56.19”
33	Mechi Forest	Forest	N26°44’35.0”	E88°12’05.12”
34	Norbung T. G	Tea Garden	N26°50’55.19”	E88°21’35.05”
35	Purba Karaibari Chhat	Revenue Village	N 26 47’ 01.7”	E 88 25’02.50”
36	Karaibari	Revenue Village	N 26 47’13.3”	E 88 25’03.10”
37	ChhotoAdalpur	Revenue Village	N 26 47’11.36”	E 88 19’15.26”
38	Dhemal	Revenue Village	N 26 44’57.73”	E88°19’32.31”
39	Rajpiari	Revenue Village	N 26 45’34.7”	E 88 21’13.70”
40	Panchanai	Revenue Village	N 26 44’43.87”	E 88 22’35.00”
41	Tindharia T. G	Tea Garden	N 26 51’17.66”	E 88 20’44.85”
42	Simulbari T. G	Tea Garden	N 26 47’33.49”	E 88 18’33.67”
43	Selim Hill T. G	Tea Garden	N 26 50’23.53”	E 88 19’08.66”
44	Pairkumari T. G	Tea Garden	N 26 46’31.30”	E88°20’09.02”
45	Gulling Forest	Forest	N 26 57’22.1”	E 88 27’01.60”
46	Ellenbury T. G	Tea Garden	N26°51’33.2”	E88°32’08.50”

47	Kalagaity T. G	Tea Garden	N26°51’14.5”	E88°32’45.40”
48	Saogaon T. G	Tea Garden	N26°51’05.0”	E88°35’13.90”
49	Saogaon	Revenue Village	N26°49’42.9”	E88°33’52.80”
50	Bara chenga	Revenue Village	N26°46’42.9”	E88°13’10.80”
51	chhotachenga	Revenue Village	N26°45’22.9”	E88°13’18.80”
52	Sunderi Basti	Revenue Village	N26°51’17.9”	E88°31’34.60”
53	Marapur T. G	Tea Garden	N26°45’58.5”	E88°12’58.40”
54	Belgachi T. G	Tea Garden	N26°46’17.5”	E88°13’37.40”
55	Panighata T. G	Tea Garden	N26°46’48.5”	E88°12’28.40”
56	Trihana T. G	Tea Garden	N26°45’35.5”	E88°16’22.40”
57	Kadma	Revenue Village	N26°46’42.9”	E88°13’10.80”
58	M.M.Terai	Revenue Village	N26°46’42.9”	E88°13’10.80”
59	Udiarip	Revenue Village	N26°44’46.9”	E88°14’41.80”
60	Terai T. G	Tea Garden	N26°46’01.5”	E88°15’43.40”
61	Panighatta Forest	Forest	N26°46’28.0”	E88°14’50.12”
62	Panthabari Forest	Forest	N26°45’57.6”	E88°16’57.12”
63	Marionbari T. G	Tea Garden	N26°47’30.50”	E88°16’10.43”
64	Longview T. G	Tea Garden	N26°48’55.36”	E88°15’35.22”
65	Dalkajhar Forest	Forest	N26°43’55.12”	E88°16’10.12”
66	Mongpong	Revenue Village	N26°52’59.29”	E88°29’20.84”
67	Gitingy T. G	Tea Garden	N 26 52’15.53”	E 88 21’14.27”
68	Washabari T. G	Tea Garden	N 26 51’45.08”	E 88 32’42.51”
69	Panbu Forest	Forest	N 26 55’15.71”	E 88 27’56.16”

Annexure V

Performa of Action Taken Report

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities **not** covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA